बढ़बो आगू मितानिन संग.....

जुरमिल बनाबो स्वस्थ गांव

ग्राम स्वास्थ्य योजना निर्माण हेतु मार्गदर्शिका

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ छत्तीसगढ़ शासन
राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र छत्तीसगढ़

★ **जुरमिल बनाबो स्वस्थ गांव**

★ **प्रथम संस्करण**

अक्टूबर 2008

★ **परिकल्पना व निर्माण**

राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र
प्रथम तल, राज्य प्रशिक्षण केन्द्र भवन
कालीबाड़ी, रायपुर (छ.ग.)

★ **संदर्भ**

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत
भारत शासन के ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता
समिति संबंधी निर्देश

★ **चित्रांकन**

लतिका वैष्णव
मो. : 94242–76385

★ **डिजाइन एवं लेआउट**

अश्वनी विशाल

★ **मुद्रण**

संवाद, छत्तीसगढ़

इस पुस्तक का कोई भी अंश जनहित में प्रकाशित किया जा सकता है किन्तु उक्त संबंध में राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र को सूचित करें व प्रकाशित सामग्री में इस प्रकाशन का उल्लेख करें।

प्रस्तावना

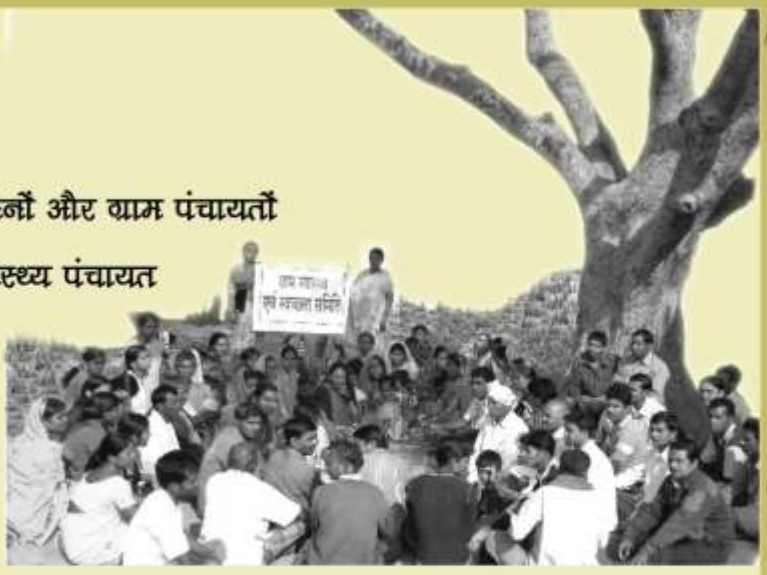

"बढ़बो आगू मितानिन संग"के साथ मितानिनों और ग्राम पंचायतों द्वारा प्रारंभ किए गए प्रयासो से राज्य में स्वास्थ्य पंचायत योजना की मजबूत नींव रखी जा चुकी है। यह योजना इस उदेश्य से प्रारंभ की गई थी कि स्वास्थ्य एवं इससे सम्बन्धित मुद्दो पर विभिन्न मानव विकास सूचकांकों के आधार पर पंचायत की वास्तविक स्थिति पर समझ बने तथा उसमें बेहतरी के लिए संयोजित प्रयास प्रारंभ हो। वर्तमान में सभी पंचायतो एवं उसके पारो की सूचकांको सम्बन्धी पूरी जानकारी हमारी पंचायत स्तर पर उपलब्ध है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत पूरे राज्य के राजस्व ग्रामों में ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता समिति का गठन हो चुका है। मिशन अन्तर्गत ग्राम समितियों को ग्राम स्वास्थ्य योजना बनाने का प्रमुख लक्ष्य सौंपा गया है । पहली बार ग्राम स्तर की समस्याओं के हल हेतू इन समितियों को वार्षिक अनटाइट फण्ड दिया गया है।

वर्तमान चरण की इस पुस्तक के द्वारा हम ग्राम समितियों के गठन,संचालन, प्रमुख कार्यो आदि जानकारियों को प्राप्त करते हुये इन समितियो को मजबूत व सक्रिय करने सम्बन्धी बातें सीखेंगे। ग्राम समितियों का मुख्य कार्य ग्राम स्वास्थ्य योजना बनाना होगा। हम अपने स्वास्थ्य पंचायत योजना के अनुभवों व सुचकांको पर उपलब्ध जानकारीयों के आधार पर सीखेंगे कि कैसे "जुरमिल बनाबो स्वस्थ गांव"। 32 सुचकांको के साथ साथ अन्य मुददो की जानकारी के आधार पर हम अपने ग्राम के प्रमुख मुददो/समस्याओं की पहचान करते हुये उसके समाधान के लिये स्वयं प्रयास करेगें। इन ग्रामों की स्वास्थ्य योजना को मिलाकर पंचायतो की स्वस्थ पंचायत योजना तैयार होगी । यह सही मायने में विकेन्द्रीकरण और लोकतंत्र प्रणाली का प्रमाण होगा कि हम गांव के लोग मिलकर अपनी योजना बनाएंगे, उसका कियान्वयन करेंगे और आवश्यक मुददो को अगले स्तर तक ले जाकर पैरवी करेंगे। "जुरमिल बनाबो स्वस्थ गांव" से "बढ़बो आगू मितानिन संग" द्वारा प्रारंभ की गई यात्रा को अपना लक्षित मुकाम हासिल होगा, जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत गठित ग्राम समितियों की सक्रियता मुख्य भूमिका निभाएगी।

विषय सूची

अध्याय–1
बढ़बो आगू मितानिन संग–पुनः अभ्यास
पृ.क्र. 3 से 6 तक

अध्याय–2
ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति
पृ.क्र. 7 से 43

अध्याय–3
स्वास्थ्य पंचायत योजना
पृ.क्र. 44 से 50

अध्याय–4
स्वास्थ्य पंचायत योजना –
बनाने के लिए जरूरी बातें
पृ.क्र. 51 से 64

अध्याय–1

बढ़बो आगू मितानिन संग–पुनः अभ्यास

वर्तमान चरण में कुछ सीखने से पूर्व आइए पहले हम सातवें चरण ''आगू बढ़बो मितानिन संग'' की बातों को दोहराते हैं।

क्या आपको याद है, सातवें चरण में हमने एक कहानी पर परिचर्चा के माध्यम से कई नई बातें सीखी थीं। उस कहानी को याद कर बता सकते हैं, उस कहानी के पात्र कौन–कौन थे ?

माधुरी श्याम मितानिन

फूलबाई मितानिन

महिला सरपंच

दाई

स्वास्थ्य अधिकारी

मनुराज सरपंच

वरिष्ठ डॉक्टर साहब

सिंग साहब सरपंच

बड़े चौधरी

मनुराज साहब
धनी गांव के सरपंच

कलेक्टर

स्वास्थ्य मंत्री

पात्रों की बातचीत के माध्यम से इन विषयों पर हमने कई प्रमुख जानकारियाँ सीखी थीं।

संस्थागत प्रसव क्यों ?

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

महिला समूह

छत्तीसगढ़ में साक्षरता

टीकाकरण

विशेष सेवाएँ देने संबंधी शासन की बाध्यताएँ

बच्चों में कुपोषण की पहचान

संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम व हैंडपंप संबंधी जरूरी बातें

बच्चों के आहार संबंधी मुख्य छह संदेश

नवजात शिशु के लिये छह सलाह

मच्छर से बचने के उपाय

विवाह की उम्र

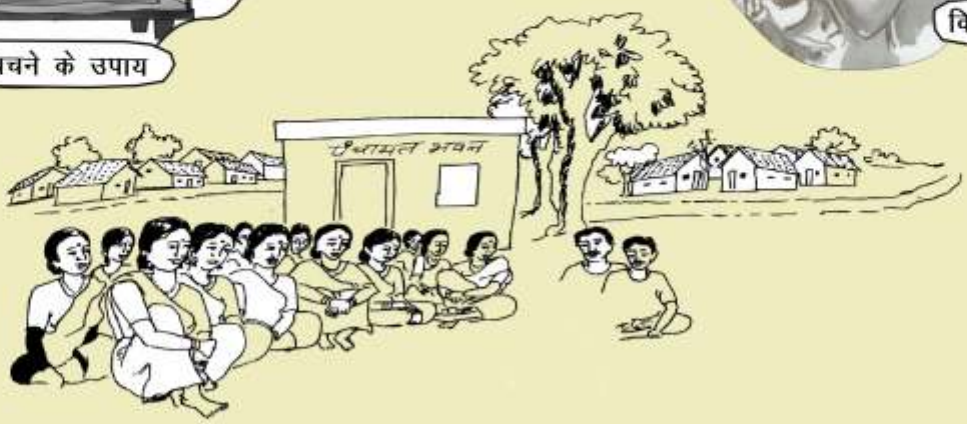

आप बढ़बो आगू मितानिन संग का पुनः अध्ययन कर निम्न प्रश्नों का उत्तर दें

1. मनुराज सरपंच के गांव को क्यों पुरस्कार नहीं मिला ?
पुनः पढ़ें पृष्ठ क्रमांक 8 से 9 तक

2. सिंग साहब सरपंच के गांव की क्यों तारीफ होती है ?
पुनः पढ़ें पृष्ठ क्रमांक 13.

3. मितानिन द्वारा स्वास्थ्य सेवा को मुख्य जड़ बताते हुए उसकी अनेक शाखाओं हेतु क्या–क्या बातें बताई जाती है ?
पुनः पढ़ें पृष्ठ क्रमांक 15.

4. मंत्री जी द्वारा स्वास्थ्य शाखा संबंधी जानकारी मितानिन द्वारा देते वक्त लोगों से कौन–कौन सी बातें पूछी जाती हैं ?
पुनः पढ़ें पृष्ठ क्रमांक 16.

7. वरिष्ठ डॉक्टर साहब द्वारा बच्चों के कुपोषण के पीछे गरीबी के अलावा और कौन–कौन
पुनः पढ़े पृष्ठ कमांक 31.

5. चर्चा के अंत में कुल कितने गांव पुरूस्कार हेतु चयनित होते हैं ?
पुनः पढ़ें पृष्ठ क्रमांक 29.

6.चयनित चारों गांवों में मलेरिया संबंधी क्या खास बात मितानिन द्वारा बताई जाती है ?
पुनः पढ़ें पृष्ठ क्रमांक 29.

8.मितानिन द्वारा महिला समूह की किन–किन अच्छाइयों के बारे में बताया जाता है ?
पुनः पढ़ें पृष्ठ क्रमांक 25.

9.चारों गांव में से प्रथम गांव का चयन किस आधार पर किया जाता है ?
पुनः पढ़ें पृष्ठ क्रमांक 34.

10. प्रथम स्थान हेतु किन–किन मितानिनों के गांव का चयन किया जाता है ?
पुनः पढ़ें पृष्ठ क्रमांक 35.

11.किस मितानिन के गांव को स्वस्थ पंचायत का पुरस्कार मिलता हैं ?
पुनः पढ़ें पृष्ठ क्रमांक 36.

12.बढ़बो आगू मितानिन संग में हमने स्वस्थ पंचायत के कौन–कौन से सूचकांक सीखे थे ? वर्तमान में इसमें क्या–क्या जोड़ा गया हैं ? पुनः पढ़ें पृष्ठ क्रमांक 40 से 43 तक।

पंचायत के लिए बेहतर स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, सकिय पंचायत प्रतिनिधियों, सकिय समितियों, बेहतर कृषि कार्यो, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लेने, बहुत कम कुपोषित बच्चों आदि के कारण फुलबाई के गांव को स्वस्थ पंचायत का पुरस्कार मिलता है।

याद है, फूलबाई मितानिन ने पंचायत की सफलता के लिए कुछ विशेष बातें बताई थी।

पंचायत की सफलता की विशेष बातें

- ग्राम पंचायत गांव के विकास के लिए आगे आएं।
- हर पारे में महिला समूह व हर गांव में ग्राम समिति बनाना।
- स्वास्थ्य समिति द्वारा मिलकर निर्णय करना।
- चर्चा में गरीब व महिलाओं की भागीदारी जरूर रहें।

इस पुस्तक में हम ग्राम समिति के बारे में और जानकारी हासिल करेंगे। हम अपने गांव की समिति को मजबूत कर सकेंगे। समिति ग्राम की स्वास्थ्य योजना बना सकेगी।

अध्याय–2
ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन क्या है?

केंद्र शासन द्वारा अप्रेल 2005 में आने वाले सात वर्षों (2005–2012) में सभी ग्रामीण लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरूआत की थी। इस मिशन का मुख्य लक्ष्य है कि हमारे राज्य में शिशुओं की मौत, माताओं की मौत में कमी हो सके और स्वास्थ्य सुविधाओं व सेवा तक पहुँच हो सके ।

मिशन के अंतर्गत राज्य में कई कार्य किए जा रहे हैं, जैसे –

जिला, ग्राम पंचायत व ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य योजनाओं का निर्माण करना।

राज्य में उपस्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पताल भवनों का निर्माण और सेवा मानकों का निर्धारण।

लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ व सेवा पहुंचाने हेतु विभागों के मध्य समन्वय

पंचायत विभाग

महिला बाल विकास विभाग

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

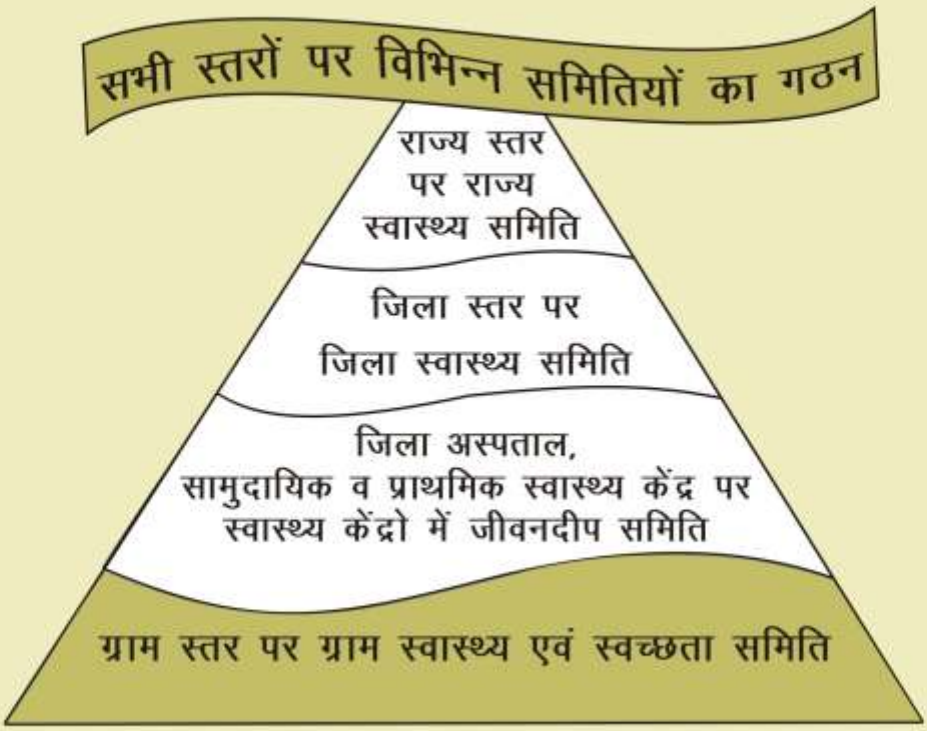

- राज्य में एलोपैथी के साथ–साथ आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति, सिद्धा और यूनानी चिकित्सा पद्धति के उपयोग को बढ़ावा देना।

अभ्यास के प्रश्न

प्रश्न 1. क्या आप जानते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक मितानिन को जीवन दीप समिति का सदस्य बनाया गया है?

प्रश्न 2. क्या आपने कभी जीवनदीप समिति की बैठक में भाग लिया है?

प्रश्न 3. क्या पिछले 1–2 वर्षों में आपने–अपने क्षेत्र में किसी प्राथमिक या उपस्वास्थ्य केंद्र का निर्माण होते देखा है?

प्रश्न 4. क्या पिछले 1–2 वर्षों में आपके क्षेत्र में उपस्वास्थ्य केंद्र नए भवन में प्रारंभ हुआ है ? इससे एएनएम द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में क्या परिवर्तन आया है?

ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति का ग्राम पंचायत से क्या सबंध है ?

हमारे ग्राम पंचायत
5 स्थायी समितियां होती हैं

1.सामान्य प्रशासन समिति
2.राजस्व एवं वन समिति
3.कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य पालन समिति
4.निर्माण एवं विकास समिति
5.शिक्षा स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण समिति

ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत की शिक्षा स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण स्थायी समिति

हमारी ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति पंचायत की शिक्षा स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण स्थायी समिति की ग्राम स्तरीय इकाई।

प्रत्येक ग्राम में ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति क्यों बनाया जा रहा है?

समुदाय की भागीदारी से एक ग्राम स्वास्थ्य योजना बनाने के लिए।

ग्राम स्वास्थ्य योजना पर मिलकर काम कर के हर पारों की स्वास्थ्य स्थिति को बेहतर बनाने।

स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी विषयों पर पंचायतों की भागीदारी बढ़ाने के लिए।

स्थायी समिति "शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण समिति"को सकिय एवं मजबूत करने के लिए।

हमें ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति का गठन किस स्तर पर करना हैं ?

ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता समिति को ग्राम स्तर पर बनाया जाना है।

पंचायत में जितने राजस्व/वन ग्राम हैं उतने ही ग्राम स्वास्थ्य समितियाँ बनेंगी।

समिति का गठन सभी राजस्व व वन ग्रामों में करना है। वन ग्राम की समितियों को राष्ट्रीय स्तर से राशि प्राप्त होने पर अनटाइड फण्ड प्रदान किया जा सकेगा।

अभ्यास के प्रश्न

प्रश्न– क्या आपकी पंचायत में "शिक्षा स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण" समिति संबंधी स्थायी समिति है ? इसके सदस्य कौन–कौन से पंच हैं ? यह समिति आपके पंचायत में क्या–क्या कार्य करती है ?

ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता समिति हैं

- अध्यक्ष
- सचिव
- संयोजक मितानिन एवं अन्य मितानिनें
- सदस्य
- विशेष आमंत्रित सदस्य

समिति का सचिव कौन होंगा ?

ग्राम पंचायत का पंचायत कर्मी या पंचायत सचिव ही इस समिति का भी सचिव होंगा।

समिति की संयोजक मितानिन कौन होंगी?

प्रत्येक ग्राम में सभी मितानिनों में से कोई एक चयनित मितानिन संयोजक होंगी।

समिति का अध्यक्ष किसे बनाया जाना चाहिए?

- समिति के अध्यक्ष गांव के पंचों में से होंगे जो ग्राम पंचायत की "शिक्षा, स्वास्थ्य समाज कल्याण समिति" के सदस्य हों।
- यदि उस ग्राम का कोई भी पंच "शिक्षा,स्वास्थ्य, समाज कल्याण समिति का सदस्य नहीं है, तो उस ग्राम के अन्य पंच को ग्राम पंचायत द्वारा अध्यक्ष, चयनित किया जाना चाहिए। ध्यान रहे कि ऐसे पंच को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग से हों। महिला पंच को प्राथमिकता दिया जाना अच्छा है।

क्या हमारी समिति में निम्न सभी सदस्य सम्मिलित हैं ?

गांव की सभी मितानिने

दाई

सभी पंच

गांव की मितानिन प्रशिक्षिका

अन्य सक्रिय संगठन / समिति स्वयं सेवी संस्था के अध्यक्ष

अध्यक्ष सक्रिय महतारी समिति

अध्यक्ष, सक्रिय वन अधिकार समिति

अध्यक्ष, सक्रिय युवामंडल

अध्यक्ष, सक्रिय नवाअंजोर समूह

अध्यक्ष सक्रिय महिला मंडल

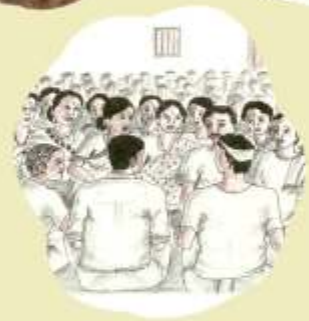

अध्यक्ष, सक्रिय जल स्वच्छता समिति व निर्मल ग्राम

अध्यक्ष, सक्रिय स्व सहायता समूह

गाँव में कार्यरत अन्य स्वयंसेवी कार्यकर्ता

पारे की महिला स्वास्थ्य समिति का एक प्रतिनिधि

क्या समिति में निम्न सभी अनिवार्य आमंत्रित सदस्य हैं जिनके बिना समिति का कार्य पूरा नहीं होगा ?

ए.एन.एम.,

ग्राम की पाठशाला का प्रधानाध्यापक (या अन्य शिक्षक)

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का हैण्डपंप मैकेनिक

क्या समिति में 50 प्रतिशत सदस्य महिलाएं हैं अथवा नहीं?

कुछ व्यावहारिक प्रश्न और उनके उत्तर

प्रश्न 1. यदि ग्राम में स्थायी समिति का कोई भी पंच न हो, तो क्या सरपंच को ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता समिति का अध्यक्ष चुना जा सकता है ?

उत्तर– सरपंच ग्राम पंचायत का मुखिया है, इसलिए किसी पंच को ही समिति का अध्यक्ष चुनना चाहिए। स्थायी समिति का पंच उपलब्ध नहीं होने पर किसी अन्य महिला पंच को चुना जाना चाहिए। अनुसूचित जाति या जनजाति के पंच को प्राथमिकता हो जानी चाहिए।

प्रश्न 2. ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं?

उत्तर– समिति में सदस्यों की संख्या कितनी भी हो सकती है। यह उस ग्राम पर निर्भर करता है कि निर्धारित सूची के अनुसार कितने लोग समिति के सदस्य बनते हैं। इस संख्या को सीमित नहीं किया गया है।

प्रश्न 3 यदि समिति का गठन मार्गदर्शिका अनुसार नहीं हुआ है तथा कोई मितानिन, प्रशिक्षिका, पंच, स्वयं सहायता समूह आदि छूट गए हो तो क्या करना चाहिए ?

उत्तर : ग्राम स्वास्थ्य समिति की आगामी बैठक में छूटे हुए व्यक्तियों को निश्चित रूप से जोड़े गए सदस्यों की सूची ग्राम पंचायत को अनुमोदन हेतु भेजें।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ मिशन हे ए देस ल स्वस्थ बनायें बर
हमला का का करना हे अब गांव ल स्वस्थ बनाये बर

पंच सरपंच सचिव सुनव जी
सुनव सबो जी मुखिया सियान

आंगनबाड़ी मितानिन नर्स दीदी जी
सुनव गांव के नवजवान

बोरिंग बनइया सुसाइटी खोलइया
स्वसहाईता के दीदी जान

कोतवाल कका सब सुनव गुरूजी
सबके सब अब देवव ध्यान

गांव स्वास्थ स्वच्छता समिति
के होगे निरमान

अपन स्वास्थ योजना खातिर
सब मिलके बनावव ठान

मिलही सबला सुख के छांव
जब जुरमिल बनाबो स्वस्थ गांव

अब तक जानी गई बातो के आधार पर ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति का गठन निम्न चरणों में करना चाहिए।

आपकी समिति ने जो चरण पूर्ण कर लिए है, उसमें "✓ "का निशान लगाएँ।

पहला चरण –मितानिन प्रशिक्षिका, सचिव व ग्राम की मितानिनों की बैठक में सभी मितानिन की सहमति से ग्राम में संयोजक मितानिन को चुनना। ☐

▼

द्वितीय चरण– संयोजक मितानिन, मितानिन प्रशिक्षिका एवं सचिव द्वारा समिति के सदस्यों की सूची तैयार करने हेतु सभी सकिय स्व सहायता समूहों, पारे की महिला स्वास्थ्य समिति, आंगनबाड़ी की महतारी समिति, युवा समिति,जल स्वच्छता समिति, नवाअंजोर समूह, निर्मलग्राम समिति, वन अधिकार समिति, महिला मंडल आदि के अध्यक्षों की सूची तैयार करना। ☐

▼

तीसरा चरण– समिति का अध्यक्ष चुनना। ☐

▼

चौथा चरण–अध्यक्ष सचिव, संयोजक मितानिन व सदस्यों की एक सूची ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराना। ☐

▼

पाँचवाँ चरण–ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के गठन का प्रस्ताव पारित करना। ☐

▼

छठवां चरण– ग्राम पंचायत द्वारा बैंक में सचिव और संयोजक के संयुक्त नाम से खाता खोलना। ☐

▼

सातवां चरण– 1. समिति की मासिक बैठक नियमित करना, 2. अनटाईड फंड का मार्गदर्शिका अनुसार उपयोग करना, 3. ग्राम स्वास्थ्य योजना बनना 4. ग्राम स्वास्थ्य योजना का कियान्वयन करना। ☐

▼

आठवां चरण – आपके ग्राम की ग्राम स्वास्थ्य योजना को मितानिन या ए.एन.एम. की मदद से विकासखण्ड की स्वास्थ्य योजना में जोड़ना। ☐

ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता समिति के लिए संयोजक मितानिन का चयन कैसे किया जाएगा ?

ग्राम की सभी मितानिनों की बैठक करना।

उनकी सहमति से प्राथमिकता सूची तैयार करना।

प्राथमिकता अनुसार संयोजक मितानिन तय करना।

हर साल प्राथमिकता सूची अनुसार मितानिन को संयोजक बनाना।

हर साल प्राथमिकता सूची अनुसार अन्य मितानिनों को भी इस समिति में काम करने का मौका बारी–बारी से मिल सकेगा ।

ग्राम स्वास्थ्य-स्वच्छता समिति के कार्य

ग्राम स्वास्थ्य योजना बनाना

ग्राम स्वास्थ्य योजना के प्रमुख चरण

चरण–1

आपके द्वारा अपने पारे/ग्रामों की प्रमुख समस्याओं/स्थिति तथा 32 बिन्दुओं संबंधी समस्याओं पर चर्चा करना।

चरण–2

पारावार कमजोर बिन्दुओं की पहचान करना ।

चरण–3

कमजोर एवं सफल बिन्दुओं के कारणों की पहचान करना।

चरण–4

सफल बिन्दुओं को बनाए रखने के उपाय करना। कमजारे बिन्दुओं को बेहतर बनाने के उपाय करना, जिम्मेदारी तय करना तथा समय सीमा तय करना।

चरण–5

मासिक बैठकों में ग्राम स्वास्थ्य योजना के सभी बिन्दुओं का क्रियान्वयन करना।

ग्राम स्वास्थ्य योजना के प्रमुख अंग

1 कमजोर वर्गो की मदद।

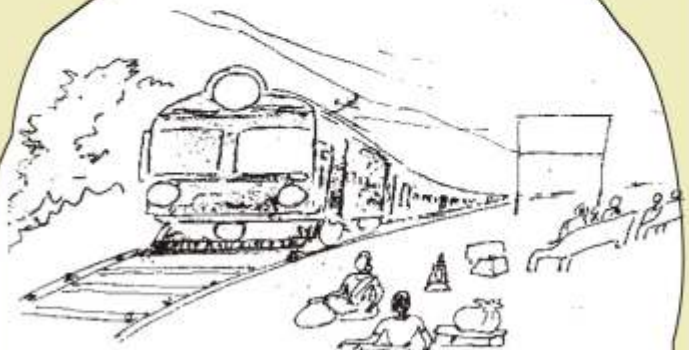

2. पलायन करने वाले परिवारों की मदद।

3. गांव में विभिन्न योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलवाना।

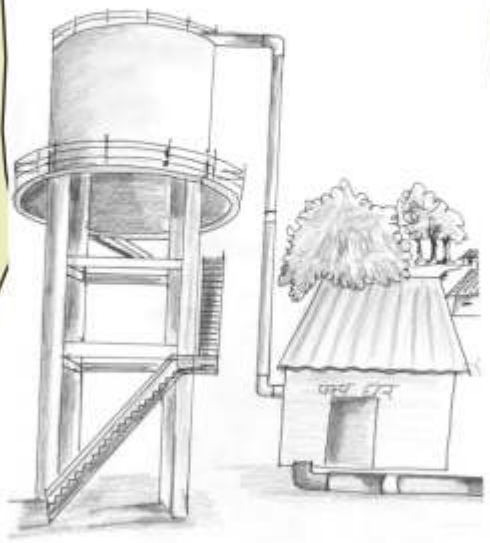

4. सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान की बेहतर योजना।

ग्राम स्वास्थ्य योजना के प्रमुख अंग

1. कमजोर वर्गों की मदद।

ग्राम में अत्यंत गरीब बेसहारा,वंचित वर्ग के परिवार/व्यक्ति की पहचान कर उनकी सहायता हेतु कार्य योजना बनाना।

ग्राम स्वास्थ्य योजना के प्रमुख अंग

पलायन करने वाले परिवारों को स्वास्थ्य सेवा कैसे उपलब्ध हो इसकी योजना बनाना।

2. पलायन करने वाले परिवारों की मदद।

ग्राम में पलायन करने वाले परिवारों की पहचान कर उनकी सहायता के लिए योजना बनाना।

ग्राम स्वास्थ्य योजना के प्रमुख अंग

3. गांव में विभिन्न योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलवाना।

सामाजिक व खाद्य सुरक्षा संबंधी योजनाओं का लाभ दिलाना।

जननी सुरक्षा योजना

राशन दुकान

ग्रम स्वास्थ्य योजना के प्रमुख अंग

3. गांव में विभिन्न योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलवाना।

आंगनबाड़ी केन्द्र की सेवाएँ

मध्याह्न भोजन

संस्थागत प्रसव व गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाएं

रोजगार गारंटी योजना

ग्राम में साफ पीने के पानी की व्यवस्था हेतू कदम।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी द्वारा प्राप्त टेस्ट किट से जल स्रोतों की गुणवत्ता नापने का काम।

हैंडपंप की स्वच्छता

ग्राम स्वास्थ्य योजना के प्रमुख अंग

कुओं में क्लोरीन टेबलेट डालने का कार्य।

4.सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान की बेहतर योजना बनाना।

अधिक से अधिक परिवारों द्वारा पक्के शौचालय का उपयोग।

ग्राम में जल प्रदाय योजना लागू करना।

हमारी ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता समिति के योजना बनाने के अलावा अन्य कार्य होंगे।

सभी प्रकार के स्वास्थ्य कार्यकमों व उपलब्ध सेवाओं के बारे में लोगों को जानकारी देना।

गांव में होने वाले समस्त जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन।

स्वास्थ्य कार्यकर्ता गांव में किस दिन पहुँचतें है इसकी जानकारी "स्वास्थ्य सेवा कैलेन्डर" द्वारा लोगों को देना ।

उपस्वास्थ्य केन्द्र में ए.एन.एम. एवं एम.पी.डब्लू. द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की जानकारी देना। उन सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए योजना।

हर माह आंगनबाड़ी केन्द्र में ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस आयोजित होना है । ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता समिति इसके नियमित आयोजन व गुणवता बढ़ाने में सहयोग देना ।

हमारी ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता समिति के योजना बनाने के अलावा अन्य कार्य होंगे।

समिति द्वारा तैयार ग्राम स्वास्थ्य योजना का प्रदर्शन दिवारों पर करना

समिति द्वारा किए जाने वाले कार्यों की वार्षिक गतिविधि कैलेण्डर बनाना।

ग्राम में मृत जन्म व शिशु मृत्यु की सूचना तत्काल चिकित्सा अधिकारी को देना।

यदि ग्राम में अनाज बैंक नहीं है, तो उसकी स्थापना करना।

ग्राम में संचालित, अनाज बैंक को मजबूत करना

महामारी की सूचना तत्काल चिकित्सा अधिकारी को देना।

बच्चों के कुपोषण की निगरानी।

शासन से समिति को प्राप्त वार्षिक अनटाईड राशि का उपयोग

हर साल समिति को शासन से 10,000/– की अनटाईड राशि प्राप्त होगी, जो कि केन्द्र से स्वास्थ्य विभाग द्वारा पंचायतों के माध्यम से समिति को प्राप्त होगी।

गाँव में स्वच्छता और पोषण संबंधी जानकारियों के दीवार लेखन में।

गाँव स्वास्थ्य योजना को दीवार पर लिखना।

गाँव में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधित कोई ऐसी समस्या हो, जिस हेतू उस राशि का प्रवधान नहीं हो पा रहा हो।

गाँव में हैंडपंप के लिए सोख्ता गड्ढा एवं जल निकासी के लिए नाली निर्माण।

गाँव में वंचित, बेसहारा, छूटे हुए गरीब परिवारों/व्यक्तियों को बीमारी/कुपोषण से जुड़ी जरुरत के लिए आर्थिक मदद में।

शासन से समिति को प्राप्त वार्षिक अनटाईड राशि का उपयोग

ग्राम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत
जिन कार्यों के लिए विभिन्न स्रोतों से राशि
की उपलब्धता नहीं है।

समिति
द्वारा किए जा
सकने वाले सभी कार्यों में
से यदि किसी कार्य में
राशि की अत्यंत
आवश्यकता हो तो उसमें
कर सकती है।

समिति यदि निर्णय लेती
है कि ग्राम के पारों में
स्वयं सेवी मितानिनों के द्वारा
किये गये (जैसे परिवारों को
सर्वे आदि) प्रशिक्षित दाई द्वारा
प्रसव कराने पर आदि के लिए
प्रोत्साहन राशि
दी जा सकती है।

स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता
लाने हेतु गांव में विभिन्न गतिविधियों के
आयोजन में, जैसे

शिविर के आयोजन में

प्रतियोगिता के आयोजन में

स्वास्थ्य संबंधी
फिल्म प्रदर्शन
के आयोजन में

प्रेरणा दल गतिविधि में

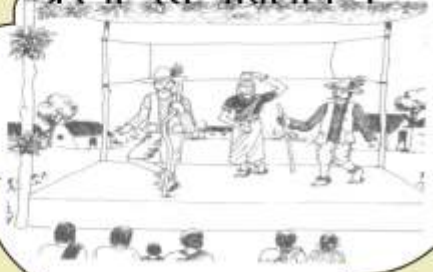

किशोर/किशोरी परिचर्चा

सिकिल सेल जांच शिविर में

शासन से समिति को प्राप्त वार्षिक अनटाईड राशि का उपयोग

हमारी समिति द्वारा शासन से प्राप्त वार्षिक अनटाईड राशि का उपयोग

बिगड़े हैण्डपम्प/नल जल योजना के अंतर्गत छोटे मरम्मत के कार्य में

गाँव में महामारी (उल्टी–दस्त, पीलिया आदि) या आपात स्थिति का सामना करने हेतु

रिकॉर्ड संधारण संबंधी स्टेशनरी/पत्राचार/सूचना भेजने संबंधी आवश्यकताओं के पूर्ति हेतु

गाँव के पारों में मितानिनों/प्रशिक्षित दाई के द्वारा किए कार्यों के लिए प्रोत्साहन राशि पर

ग्राम स्वास्थ्य योजना का विवरण प्रदर्शित करने में

कुछ व्यावहारिक प्रश्न और उनके उत्तर

प्रश्न 1 ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति को अनटाईड फंण्ड किसके माध्यम से मिलना चाहिए ?

उत्तर – ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति को अनटाईड फंड निम्नानुसार मिल सकता है–

1. सीएमओ द्वारा ग्राम पचांयत के माध्यम से।
2. सीएमओ द्वारा बीएमओ/सीईओ के द्वारा ग्राम पचांयत के माध्यम से।

प्रश्न 2 यह अनटाईड फंड समिति कहां रखेगी?

उत्तर – यह अनटाईड फंड समिति नजदीक के बैंक में खाता खोलकर बचत खाते में रखेगी।

प्रश्न 3 समिति का खाता कहां–कहां खोला जा सकता है? यह बचत खाता होगा या चालू खाता?

उत्तर – समिति का खाता गांव के नजदीक के किसी भी सरकारी बैंक/पोस्ट ऑफिस बैंक में खोला जा कता है। यह खाता बचत खाता होगा।

प्रश्न 4 खाता खोलने के लिये समिति को किसके प्रस्ताव की आवश्यकता होगी?

उत्तर – खाता खोलने के लिये समिति को ग्राम पंचायत के प्रस्ताव की आवश्यकता होगी।

प्रश्न 5 खाता किसके नाम से खोला जाना चाहिये?

उत्तर – खाता संयोजक मितानिन व पंचायत के सचिव के नाम से खोला जाना चाहिये तथा ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के निर्णय के अनुसार सचिव व संयोजक मितानिन संयुक्त रुप से राशि का आहरण कर सकेगें।

प्रश्न 6 समिति के खाते से राशि आहरण की प्रकिया क्या होगी

उत्तर – 1. समस्याओं की सूची व ग्राम स्वास्थ्य योजना पर खुली चर्चा कर आवश्यक गतिविधियों की प्राथमिकता तय करना।

2. प्राथमिकता सूची के आधार पर राशि की आवश्यकता का अनुमोदन ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के कम से कम 50 प्रतिशत सदस्यों द्वारा किया जाएगा।

3. अनुमोदन के पश्चात् सचिव व संयोजक मितानिन संयुक्त रुप से राशि का आहरण करेंगे।

प्रश्न 7 समिति का हिसाब–किताब किसमें रखेंगे?

उत्तर–

प्रश्न 8 उपयोगिता प्रमाण पत्र क्या होता है ? यह किसकी जिम्मेदारी होगी ? खण्ड चिकित्सा अधिकारी को कौन प्रेषित करेगा ?

उत्तर– उपयोगिता प्रमाण पत्र में कुल राशि में से कितनी राशि का व्यय/उपयोग किस मद में किया गया है तथा कुल कितनी राशि शेष है, इसका विस्तृत विवरण होता है। उपयोगिता प्रमाण पत्र बनाने की जिम्मेदारी समिति की होगी। उपयोगिता प्रमाण पत्र पंचायत के माध्यम से खण्ड चिकित्सा अधिकारी को ए.एन.एम. द्वारा दिया जाएगा।

प्रश्न 9 ग्राम में किसी परिवार के एक सदस्य की रात में तबियत अचानक खराब हो जाती है। वह परिवार अत्यंत गरीब है, उसके पास अस्पताल जाने के लिए राशि उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में समिति क्या करेगी ?

उत्तर– ऐसी आपात् या अकस्मात् स्थितियों के लिए बेहतर है कि पहले से ही समिति के संयोजक मितानिन या समिति द्वारा तय किए गए किसी जिम्मेदार सदस्य के पास समिति की आपसी सहमति से कुछ राशि रखी जाए। ध्यान रखें कि राशि समिति के उस सदस्य या मितानिन के पास हो जो कि उस गांव में रहता हो, ताकि रात के वक्त या बैंक के बंद रहने की स्थिति में कोई गरीब या जरुरतमंद को अस्पताल तक पहुंचाया जाकर उसकी मदद की जा सके। ध्यान रखें कि दरकिनार/वंचित लोगों को दी जाने वाली सहायता से पूरा समाज लाभान्वित होता है।

ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के अंतर्गत प्राप्त राशि का उपयोग करते वक्त ध्यान रखी जाने वाली बातें

जहां तक संभव हो श्रमदान के माध्यम से कार्य करें ताकि राशि की बचत की जा सके।

जहां तक संभव हो विभिन्न विभागों के विभागीय बजट से राशि प्राप्त कर संबंधित कार्य पूरे कराए जाने चाहिए।

ग्राम पंचायत को उपलब्ध मूलभूत राशि के मद की राशि से कार्यों को पूरा कराया जाना चाहिए।

ग्राम में किसी अन्य समितियों जैसे वन अधिकार समिति, स्वयं सहायता समूह, आदि के पास किसी प्रकार की राशि उपलब्ध है, तो मिलकर कार्य करना चाहिए।

अभ्यास के प्रश्न

प्रश्न 1 किसी गांव की समिति के खाते से सचिव ने समिति सदस्यों के अनुमोदन के बिना ही राशि निकाल ली। इस स्थिति में क्या करना चाहिए? राशि निकालने का सही तरीका क्या होना चाहिए ?

प्रश्न 2 किसी गांव की समिति के सचिव व संयोजक जब 2000 रूपये निकालना था वे बैंक गये, तो बैंक बाबू ने बताया कि उनको पूरे 10,000 रूपये एक ही बार में निकालने होंगे इस स्थिति में क्या करना चाहिए?

प्रश्न 3 किसी समिति के सचिव ने बताया कि पैसा निकालने के लिये खण्ड चिकित्सा अधिकारी की अनुमति लेनी होगी। क्या यह सही है ?

प्रश्न 4 प्रसव के दौरान में एक गरीब परिवार की नवजात बच्चे की मां की मृत्यु हो गई । बच्चा जिन्दा है। ग्रम स्वास्थ्य समिति ने निर्णय लिया कि उसके बच्चे के लिये दूध की व्यवस्था के लिये समिति की राशि के उपयोग से की जाए। क्या समिति ने सही निर्णय लिया ?

प्रश्न 5 एक गांव की संयोजक मितानिन ने बताया कि सचिव के कहने पर उसने हस्ताक्षर कर दिए और बैंक से राशि सचिव ने निकाल ली । इस तरह बिना प्रकिया पालन के राशि का आहरण कैसे रोक सकते हैं ?

स्वास्थ्य पंचायत योजना के अंतर्गत जिन पंचायतों को पुरस्कार या सहयोग राशि प्राप्त हुई हैं, उसे उस पंचायत की सभी ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों को बराबर–बराबर बाँटा जा सकता हैं। जिससे राशि का उपयोग ग्राम की समस्याओं के हल के लिए ही उपरोक्तानुसार किया जा सके।

ध्यान रहे कि समिति द्वारा अनटाईड फण्ड के उपयोग में व्यक्तिगत हितकार्यों के स्थान पर सामाजिक कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। किंतु विशेष परिस्थितियों में पीड़ित महिला या अत्यंत गरीब या बेसहारा परिवारों या व्यक्ति के लिए सहायता करने का निर्णय ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति ले सकती है। वह व्यक्ति/परिवार उस राशि को रिवाल्विंग फण्ड की तरह किस्तो में लौटा भी सकता है। ध्यान रखें बेसहारा/वंचित लोगों को दी जाने वाली सहायता को व्यक्तिगत लाभ के रुप में नहीं

10000 रूपए की वार्षिक राशि ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति को दी गई है । समिति अन्य स्रातों से भी आर्थिक संसाधन की व्यवस्था कर सकती है । जैसे ग्राम के विभिन्न संगठनों से सहयोग राशि प्राप्त कर विभिन्न व्यक्तियों से सहयोग राशि प्राप्त कर आदि ।

मिलही सबला सुख के छांव।
जब जुरमिल बनाबो स्वस्थ गांव।।

समिति के विभिन्न सदस्यों की भूमिका

हमारी समिति में सरपंच की भूमिका

हर माह होने वाली बैठक का ध्यान रखूंगा।

ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत स्तर की समस्याओं की पहचान करूंगा।

समस्या का समाधान सुनिश्चित कराऊँगा।

समिति के प्रस्तावों एवं किए गए कार्यों को गांव वालों के सामने रखूँगा।

ग्राम स्वास्थ्य योजना के जरूरी बिन्दुओं को ग्राम पंचायत के साल भर की कार्य योजना में सम्मिलित कराऊँगा।

समिति की बैठकों में जिला या जनपद पंचायत के सदस्यों को सम्मिलित करने का प्रयास करूँगा।

हमारी समिति में अध्यक्ष की भूमिका

समिति की वार्षिक/अर्धवार्षिक कार्य योजना बनाकर प्रमुख बिन्दुओं पर कार्य करूँगी।

मासिक बैठक में नेतृत्व प्रदान कर समिति को सकिय बनाऊँगी।

ग्राम पंचायत की स्थायी समिति में समिति के सभी कार्यों को प्रस्तुत करूंगी।

गांव के सभी लोगों को ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति से जोड़कर रखूँगी।

समस्याओं को सुलझाने के लिए योजनानुसार कार्य करूंगी।

हमारी समिति में सचिव की भूमिका

संयोजक मितानिन के साथ समिति की प्रत्येक मासिक बैठक का समय–स्थान तय करूंगा।

सभी संबंधितों की बैठक में उपस्थिति सुनिश्चित कराऊँगा।

प्रत्येक तीन माह में समिति द्वारा किए गए खर्च की जानकारी का प्रतिवेदन तैयार करूँगा।

नियमित बैठकों में उभरे कमियों एवं उपलब्धियों पर समिति का ध्यान लाऊंगा।

समिति द्वारा तैयार की गई ग्राम स्वास्थ्य योजना को पंचायत योजना में शामिल कराऊँगा।

समिति में विभिन्न बिंदुओं पर की गई चर्चा एवं लिए गये निर्णयों की जानकारी बैठक पंजी में रखूँगा।

समिति द्वारा लिए गए निर्णयानुसार ही खर्च के लिए राशि का समय से आहरण करना सुनिशिचित करूँगा कैश बुक का संधारण करूँगा।

ग्राम पंचायत /जनपद पंचायत स्तर की समस्याओं की पहचान कर उन तक भेजने हेतु ग्राम पंचायत के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई करूंगा।

खर्च राशि का उपयोगिताका प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत के माध्यम से ए. एन.एम. को दूंगा।

बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी ग्राम पंचायत की स्थायी समिति में प्रस्तुत करूँगा।

हमारी समिति में ए.एन.एम. की भूमिका

समिति की बैठक में नियमित भाग लेकर स्वास्थ्य विषयक जानकारी/सलाह दूंगी।

उप स्वास्थ्य केन्द्र से मिलने वाली सेवाओं की जानकारी एवं सेवाओं के वार्षिक कैलेण्डर बनाने में समिति का सहयोग करूगीं।

ग्राम में स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में होने वाली कठिनाइयों से समिति को अवगत कराऊँगी।

उप स्वास्थ्य केंद्र के अनटाइड फण्ड केउपयोग की जानकारी दूंगी।

ग्राम में हुई प्रत्येक शिशु /बाल मृत्यु के कारणों की जानकारी ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति को दूंगी।

जननी सुरक्षा योजना की जानकारी एवं सेवा लेने से अक्सर छूटने वाले/वंचित परिवारों/लोगों की जानकारी समिति को दूंगी।

परिवार नियोजन कैम्प, नेत्र चिकित्सा शिविर, सिकिल सेल शिविरों की जानकारी समिति को पहले से ही दूंगी।

हमारी समिति में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भूमिका

ग्राम के पारों की मितानिनों के साथ मिलकर पारावार कुपोषण की स्थिति को प्रस्तुत करूंगी।

आंगनबाड़ी के अंतर्गत होने वाली समस्या को समिति में रखूंगी।

ग्राम के सभी समूहों एवं महतारी समिति के सदस्यों को नियमित बैठक में भाग लेने हेतु प्रेरित करूगी।

ग्राम स्वास्थ्य योजना बनाने व उसके कियान्वयन में सहयोग करूंगी।

हमारी समिति में संयोजक मितानिन की भूमिका

समिति के कार्यों के खर्च की पूरी जानकारी सभी ग्राम सभाओं में प्रस्तुत करूंगी।

सभी पारों की समस्याओं को ग्राम समिति बैठकों में प्रस्तुत करूंगी।

सभी सदस्यों को बैठक की सूचना समय से दूंगी।

टीकाकरण विशेषकर दूर पारे में छूटने वाले बच्चों/परिवारों की जानकारी समिति के बैठक में प्रस्तुत करूँगी।

प्रत्येक तीन माह में समिति द्वारा किये व्यय की जानकारी सचिव की मदद से तैयार करूंगी।

पारे में हुई सभी मृत्युओं की जानकारी ग्राम समिति की बैठक में रखूंगी।

समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों के लिए सचिव के साथ राशि का आहरण करूंगी।

हमारी समिति में संयोजक मितानिन की भूमिका

मितानिन डायरी एवं ग्राम स्वास्थ्य रजिस्टर के माध्यम से पारावार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवार, गरीबी रेखा के नीचे परिवार, भूमिहीन परिवार, पलायन करने वाले लोग/परिवार, वृद्ध लोग, विकलांग, विधवा ,परित्यक्ता आदि की जानकारी समिति में प्रस्तुत करूंगी।

प्रति माह सभी पारों के जननी सुरक्षा योजना लाभार्थियों की जानकारी समिति की बैठकों में रखूंगी।

अनुमोदित कार्यो का कियान्वयन समिति के सभी सदस्यों के सहयोग से करूंगी।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के सहयोग से पारावार कुपोषण की जानकारी ग्राम समिति की बैठक में प्रस्तुत करूंगी।

पारावार 32 सूचकांको के आधार पर समिति को ग्राम स्वास्थ्य योजना तैयार करने में पसहयेाग दूंगी।

हमारी समिति में अन्य मितानिनों की भूमिका

ग्राम समिति की
प्रत्येक बैठक में भाग लेंगे।
अपने अपने पारे की समस्याओं
को समिति की प्रत्येक
बैठक में रखेंगे।

पारे के सभी
लोगों को समिति की
बैठक में भाग लेने के
लिये प्रेरित करेंगे।

पारे में महिला स्वास्थ्य समिति
एवं स्वयं सहायता समूह की बैठक
को करते हुए पारे की सभी
समस्याओं को समिति की
प्रत्येक मासिक बैठक में रखेगें।

दवा पेटी में उपलब्ध
दवाईयों एव
उसके वितरण की जानकारी
समिति की बैठक में देंगे।

प्रशिक्षिका के सहयोग से ग्राम स्वास्थ्य
रजिस्टर व मितानिन डायरी के उपयोग से
पारे/गांव के वंचित/छूटे लोग/बेसहारा
लोगों/परिवारों की जानकारी समिति में
प्रस्तुत करेगें।

हमारी समिति में मितानिन प्रशिक्षक की भूमिका

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एवं समिति संबंधी दिशानिर्देश के बारे में जानकारी दूंगी।

सचिव के साथ प्रत्येक ग्राम हेतु संयोजक मितानिन का चयन करूंगी।

समिति के सदस्यों की पहचान कर उनका प्रशिक्षण सुनिश्चित करूंगी।

संकुल बैठक में मितानिनों को समिति के निर्णयों के अनुरूप कार्य करने हेतु सहयोग करूंगी।

मितानिनों को ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति संबंधी बातों पर मार्गदर्शन करूंगी।

संकुल में सकिय व निष्क्रिय समितियों की सतत् जानकारी प्रशिक्षक बैठक में दूंगी।

समिति के लिए सचिव और संयोजक मितानिन का संयुक्त खाता खोलने में सहयोग दूंगी।

बेहतर उदाहरण प्रस्तुत करने वाली समितियों की पहचान कर उनकी जानकारी अन्य संकुल/मितानिन प्रशिक्षक बैठक में दूंगी।

ग्राम स्वास्थ्य योजना बनाने के पूर्व पारा स्तर पर 32 सूचकांको पर समस्याओं की पहचान कर और उनके समाधान पर चर्चा करूंगी।

प्रत्येक माह में कम से कम पाँच समितियों की बैठक में भाग लेकर संयोजक मितानिन व सचिव को उनके कार्यों में सहायता दूंगी।

संयोजक मितानिन को उसकी दी गई भूमिका के सभी बिंदूओं को निभाने में सहयोग दूंगी।

सभी ग्रामों में ग्राम स्वास्थ्य योजना बनाने में पंचायतों को मदद दूंगी।

हमारी ग्राम समिति की मासिक बैठक

समिति में कोई भी प्रस्ताव/कार्य के अनुमोदन की प्रकिया

1. स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समस्याओं को समिति की मासिक बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।
2. समस्याओं की सूची पर चर्चा करते हुए ग्राम की प्राथमिकता तय करेंगे।
3. प्राथमिकता तय करते समय पारों में कुपोषित बच्चों की स्थिति, छूटे वर्ग (विशेष कर महिला, विधवा, विकलांग, अनुसुचित जनजाति/अनुसुचित जाति आदि), पारे की दूरी आदि का विशेष ध्यान रखा जावेगा।
4. प्राथमिकता सूची के आधार पर कार्यो के प्रस्ताव के लिए राशि की आवश्यकता का अनुमोदन किया जावेगा।
5. राशि हेतु अनुमोदन, समिति के 50 प्रतिशत सदस्यों द्वारा किया जाना होगा।

समिति में की जाने वाली चर्चा, नियमित समीक्षा व बैठक प्रतिवेदन

1. प्रत्येक मासिक बैठक में ग्राम स्वास्थ्य योजना, उसके कियान्वयन बिन्दुओं,पूर्व में लिए गए निर्णयों एवं लंबित कार्यों, व्यय, बैठक पंजी आदि पर आवश्यक चर्चा।
2. माह के लिए निर्धारित विषय पर चर्च कर कार्य योजना बनाना।
2. बैठक प्रतिवेदन शिक्षा स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण समिति की मासिक बैठक में संयोजक मितानिन द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा ।

ग्राम सभा में ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की भूमिका

ग्रामसभा में सरंपच की जिम्मेदारी क्या होगी?

ग्राम सभा में अपनी बात रखने हेतु समय दिलाना।

समिति द्वारा ग्राम स्वास्थ्य योजना अंतर्गत चिन्हित समस्याओं व बनाई गयी योजनाओं के कियान्वयन पर समुदाय से उचित सहयोग प्राप्त करना।

ग्राम सभा में ग्राम स्वास्थ्य योजना को प्रस्तुत करना।

ग्राम सभा में संयोजक मितानिन की भूमिका क्या होगी?

अध्यक्ष की भूमिका क्या होगी?

समिति द्वारा चिन्हित समस्याओं व बनाई गयी योजनाओं को ग्राम सभा में चर्चा के लिये रखना।

समिति ग्राम सभा में निम्न बातें सुनिश्चित करेंगी

प्रत्येक ग्राम सभा में समिति के सभी सदस्य भाग लेंगे।

समिति द्वारा किए गए खर्च के देयको (व्हाऊचर) पर ग्राम सभा की तिथि भी अंकित की जावेगी।

ग्राम सभा में समिति द्वारा बैठक में लिये गये निर्णयों, किये गये खर्चो तथा ग्राम स्वास्थ्य योजना प्रस्तुत कर चर्चा कराई जावेगी।

समिति ग्राम सभा की प्रत्येक बैठको में ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के कार्यो /मुद्दो ग्राम स्वास्थ्य योजना की चर्चा एवं अब तक हुये खर्च का ब्यौरा रखेगी।

ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की सक्रियता की निगरानी कौन करेगा?

ग्राम पंचायत द्वारा समिति की बैठकों का नियमित आयोजन। एवं अनुमोदित प्रस्ताव पर समय से कार्यवाही की निगरानी।

ग्राम सभा में संयोजक मितानिन द्वारा समिति के कार्यो की जानकारी प्रस्तुत कर सामाजिक अंकेक्षण।

प्रत्येक ग्राम में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की बैठक हर माह होनी चाहिए,इसमें ग्राम के सभी लोग भाग ले सकते है।

अभ्यास के प्रश्न

प्रश्न 1. आज ग्राम में ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की पहली बैठक है, बैठक में किन बिंदुओ पर चर्चा की जानी चाहिये ?

प्रश्न 2. ग्राम समिति की बैठक में गांव के लोगों की उपस्थिति नहीं है, केवल अध्यक्ष, सचिव व संयोजक मितानिन उपस्थिति है, तो क्या बैठक ली जानी चाहिये? उपस्थित लोगों को क्या–क्या प्रयास करने चाहिए?

प्रश्न 3. समिति की बैठक में दलित/पिछड़े वर्ग/बेसहारा/विधवा/परित्यक्ता के लोग नहीं आते हैं, आप इनकी उपस्थिति कैसे सुनिश्चित करेगें?जिम्मेदारी किसकी है? ग्राम समिति की बैठक में एक दूर पारा जहां सिर्फ हरिजन परिवार रहते हैं, वहां 10 कुपोशित बच्चो की जानकारी मिलती है, समिति क्या करेगी?

हमारी बात - ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता समिति की बैठके

यह कॉलम अपनी बैठक पंजी में बना लें।

क्र.	दिनांक	माह की बैठक का निर्धारित विषय	अनुमोदित बातें	पूर्व अनुमोदित कार्यों की स्थिति (पूर्ण / अपूर्ण)
1				
2				
3				
4				

हमारी बात - ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता समिति की बैठके

यह कॉलम अपनी बैठक पंजी में बना लें।

क्र.	दिनांक	माह की बैठक का निर्धारित विषय	अनुमोदित बातें	पूर्व अनुमोदित कार्यों की स्थिति (पूर्ण / अपूर्ण)
1				
2				
3				
4				

अध्याय –3

स्वास्थ्य पंचायत योजना

हम अपने गांव और पंवायत को स्वस्थ बना कैसे बना सकते है ?

क्या गाँव में समय से दवा गोली मिले तो सब पारा स्वस्थ रहेंगे।

नहीं, गांव को स्वस्थ बनाना है तो स्वास्थ्य से जुड़ी सभी बातें–जैसे कि भोजन, रोजगार, साफ पानी, शिक्षा आदि की भी व्यवस्था को देखना होगा।

तो क्या अकेली नर्स या मितानिन गांव को स्वस्थ बना पाएगी ?

नहीं, इसके लिए तो गांव के सब लोगों को मिलकर कोशिश करना होगा। सुधार लाने के लिए पंच,सरपंच, मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, नर्स व अन्य कर्मचारी और आम जनता सब को मिलकर कोशिश करना होगा।

तो क्या इसी को स्वस्थ पंचायत योजना कहते हैं?

हां, स्वस्थ पंचायत योजना को गांव के लोग ही बनाते और उपयोग लाते हैं। यह योजना कहीं उपर से तैयार होकर नहीं आती। लोग अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को खुद समझते है, उसके उपाय भी स्वयं करते हैं।

इसके लिए अभी तक क्या कोशिश हुई हैं?

हां, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पंचायत को जोड़ना तो मितानिन कार्यकम के मूल उद्दश्यों में शामिल है। सातवाँ चरण प्रशिक्षण भी इसी पर था। स्वस्थ पंचायत सर्वे के तहत् पारा–पारा में 32 बिंदुओं पर आंकड़ें भी जुटाए गए है। ताकि सब जान सकें कि हर पारे में स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है। 12 वां चरण प्रशिक्षण के बाद सभी गांवों में स्वस्थ पंचायत योजना बनानी है।

स्वस्थ पंचायत योजना कौन बनाएगा ?

- ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता समिति एवं पंचायत के सभी सदस्य।
- पंचायत के चुने हुए सरपंच, उप सरपंच और सभी वार्ड पंच।
- स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव, अध्यापक आदि गांवों को सेवाएं पहुंचाने वाले कर्मचारी।
- सभी मितानिनें व उस क्षेत्र की मितानिन प्रशिक्षिका।
- गांव में सकिय स्वयं सहायता समूह, महिला स्वास्थ समिति, महतारी समिति व अन्य समूह।
- गांव की आम जनता महिला और पुरूष दोनों।
- गांव में रहने वाले कमजोर वर्ग जैसे कि विकलांग, वृद्ध, विधवा, विशेष जनजाति, दलित समुदाय आदि जो कि कई बार कार्यक्रमों से छूट जाते हैं।

स्वस्थ पंचायत योजना कैसे बनाएंगे?

स्वस्थ पंचायत योजना बनाने के लिए दो तरह की बैठक करनी होगी–

- पहले पारा स्तर पर ।
- ग्राम स्तर पर।

प्रश्न : पारा स्तर की बैठक में क्या चर्चा होगी ?

- पारा बैठक में पारे के स्वास्थ्य की स्थिति पर चर्चा होगी। प्रशिक्षिका स्वास्थ्य के 32 बिंदुओं पर इकट्ठा की गई जानकारी को लोगों के सामने रखेगी। इसमें ग्राम के स्वास्थ्य व स्वच्छता संबंधी मुद्दों जैसे टीकाकरण, कुपोषण, पेयजल, आंगनबाड़ी, नवजात, गर्भवती की देखभाल, रोजगार गारंटी योजना, जरूरी दवाओं की उपलब्धता इत्यादि विषय शामिल हैं। इन 32 बिंदुओं के अतिरिक्त अन्य मुद्दे भी चर्चा में जोड़े जा सकते हैं। इस तरह पारे के लोग तय करेंगे कि उनके पारे में क्या–क्या समस्याएं हैं।

प्रश्न : यह पारे स्तर की बैठक कब कब होगी ?

- यह बैठक प्रत्येक माह महिला स्वास्थ्य समिति के साथ की जाएगी। और उसके उस माह के निर्धारित विषय व गत बैठक में छूटी बातों पर चर्चा की जाएगी।

प्रश्न : ग्राम स्तर की बैठक में क्या चर्चा होगी ?

- इस बैठक में सभी पारा से आए लोग अपने–अपने पारा की समस्या बताएंगे। इन समस्याओं को हल करने का उपाय बैठक में तय किया जाएगा। साथ में यह भी तय किया जाएगा कि उस उपाय को करने की जिम्मेदारी किसकी होगी। इस सब को लिखने से तैयार हो जाएगी अपनी स्वस्थ पंचायत योजना।

प्रश्नः ग्राम स्तर की बैठक कब कब होगी?

- यह बैठक प्रत्येक माह ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की मासिक बैठक में की जावेगी। और उसमें उस माह के निर्धारित विषय व गत बैठक की अपूर्ण कार्यवाही पर चर्चा की जावेगी।

- योजना को तो लिख लिया । अब इस पर आगे काम कैसे होगा ?
- जिम्मेदारी लेने वाले लोग अपना–अपना प्रयास करेंगे। एक माह बाद दोबारा बैठक होगी, जिसमें पता चलेगा कि जिम्मेदारी लेने वाले ने कोशिश की है या नहीं और इससे क्या सुधार हुआ है। अगर सुधार हुआ है तो इसकी प्रशंसा की जाएगी, अगर सुधार नहीं हो पाया है तो समस्या को हल करने का नया उपाय और उसकी जिम्मेदारी बैठक में तय की जाएगी।

प्रश्न : योजना बनाने की प्रकिया में कौन लोग छूटते है व क्यों छूट जाते है?

अकसर गांव के गरीब व जरूरतमंद लोग छूट जाते हैं इन वर्गों के परिवारों के छूट जाने का मुख्य कारण है कि गांव के अन्य लोग इनकी जरूरतों पर ध्यान देने से चूक जाते हैं। इसका एक उदाहरण देखते है।

बैकुंठपुर विकासखंड की एक सकिय प्रशिक्षिका के साथ गांव जाने पर पता चला कि उसके गांव में कोड़कू जाति के 15 अति गरीब व भूमिहीन परिवार रह रहे थे, किंतु उनके पारे की मितानिन और प्रशिक्षिका कभी भी उनकी बस्ती में नहीं पहुंचे थे। यहाँ तक कि ग्राम स्वास्थ्य रजिस्टर में भी इन परिवारों का नाम दर्ज नहीं किया गया था। कोड़कू परिवारों की स्थिति बहुत नाजुक थी। वहाँ पर साल भर से टीकाकरण नहीं हुआ था। किसी भी ग्राम सभा में आने की सूचना उनको नहीं मिली थी। ऐसा लगता था कि गांव के अन्य लोगों ने अपनी आंखे मूंद रखी थी, और किसी के ध्यान में नहीं था कि यह 15 परिवार किस हालत में जी रहे हैं। उनके पारा में जाकर यह स्थिति देखने से मितानिन व प्रशिक्षिका को अहसास हुआ कि इन परिवारों पर ध्यान देने की विशेष जरूरत है। प्रशिक्षिका ने मितानिन के साथ जाकर वहां पहली बैठक की, फिर ग्राम स्वास्थ्य रजिस्टर में इन परिवारों की जानकारी भरी। मितानिन डायरी में विशेष ध्यान देने लायक परिवारों की सूची में इन परिवारों को जोड़ा तब से मितानिन हर सप्ताह कोड़कू परिवारों में भ्रमण करती है और सलाह व दवा देती है। इन परिवारों में से 2–3 महिलाएं महिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में भी आने लगी हैं। प्रशिक्षिका ने ए.एन.एम. से बात करके वहां पर टीकाकरण भी करवा दिया है। इस तरह इन छूटे हुए अत्यंत गरीब परिवारों को गांव और सेवाओं से जोड़ने की शुरूआत हुई है।

प्रश्नः स्वास्थ्य पंचायत योजना से छूटे हुए बेसहारा और कमजोर वर्ग के लोगों को कैसे लाभ हो सकता हैं ?

इसके लिए इन लोगों को बैठक में लाना होगा, उनकी बात सुननी होगी और उनकी समस्या को हल करने की कोशिश करनी होगी और सबसे जरूरी बात है कि किसी भी कमी के लिए इन गरीब लोगों पर दोषारोपण न किया जाए।

गरीब या छूटे हुए लोगों पर दोषारोपण का एक उदाहरण

एक गांव की स्वास्थ्य पंचायत योजना बनाने की बैठक में टीकाकरण पर चर्चा चल रही थी।

मितानिन प्रशिक्षिका : टीकाकरण में सबसे कमजोर स्थिति कमारपारा की है, जहां 22 बच्चों में से केवल चार का टीकाकरण हुआ है।

नर्स : कमारपारा में कमार जाति के परिवार रहते हैं और वो लोग कभी भी टीकाकरण के लिए बच्चों को नहीं भेजते।

पंचायत सचिव : कमार लोग शराब का अधिक सेवन करते हैं और उनमें शिक्षा का अभाव है, जिसके चलते वे लोग अपने बच्चों के स्वास्थ्य पर कोई ध्यान नहीं देते।

अभ्यास के प्रश्न

प्रश्न1. कमार लोगों पर दोष लगाए जाने पर उनको कैसा महसूस हुआ होगा ? क्या वो दुबारा बैठक में आना चाहेंगे ?

प्रश्न2. क्या कमारपारा की वास्तविक समस्या को समझने का प्रयास किया गया ?

प्रश्न3. कमार लोगों पर दोष लगाने से पारा में टीकाकरण की समस्या को हल करने में क्या मद्द मिली ?

आगे की कहानी -

मितानिन प्रशिक्षिका : क्यों न कमार पारा से आए लोगों से ही पूछा जाए कि उनके पारे में टीकाकरण की स्थिति कमजोर क्यों है?

कमार महिला : मुझे नहीं मालूम है,जिनके छोटे बच्चे होंगे वही बता पाएगे।

मितानिन प्रशिक्षिका : क्या आपके कमार पारा में आंगनबाड़ी केन्द्र हैं ?

कमार महिला : नहीं हैं।

मितानिन प्रशिक्षिका : कमार पारा से आंगनबाड़ी केन्द्र कितनी दूर है?

कमार महिला : तीन किलोमीटर है और बीच में नदी पड़ती है।

मितानिन प्रशिक्षिका : क्या नर्स कमार पारा में पहुंचती हैं ?

कमार महिला : नहीं।

नर्स : मैं हर माह आंगनबाड़ी में टीका लगाती हूँ। इनके पारे में तो अभी तक नहीं जा पाई हूँ। सोचती हूँ वहां तक जाने पर भी कोई महिला मिलेगी या नहीं। वहां की मितानिन भी साल भर से काम छोड़ दी हैं।

मितानिन प्रशिक्षिका : सब लोग सुझाव दें कि कमार पारा में इन चीजों को कैसे सुधारा जाए ?

कमार महिला : नर्स हमारे पारा में आए तो मैं सब बच्चों को जुटा सकती हूँ।

नर्स : ऐसा है तो मैं अगले शुक्रवार को ही तुम्हारे पारे में आती हूँ।

मितानिन प्रशिक्षिका : मैं आपके पारे में आकर बैठक करूंगी ताकि मितानिन सकिय हो सके। किन्तु आंगनबाड़ी में कमार बच्चे पहुंच सकें, इसके लिए क्या करें ?

सरपंच : इस पारे के लिए तो नया आंगनबाड़ी केन्द्र खुलवाने का प्रयास करना होगा।

इस उदाहरण से हम सीखते हैं कि –

अक्सर किसी भी समस्या के लिए गरीब लोगों को ही दोषी मान लिया जाता है। जैसा कि इस उदाहरण में कमार पारा के लोगों से पुछे बिना ही उनको समस्या का जड़ मान लिया गया। किन्तु सलाहकर्ता (मितानिन प्रशिक्षिका) की समझदारी थी कि उसने समस्या का वास्तविक कारण जानने का प्रयास किया। उसने कमार लोगों से पूछा कि उनके पारे में क्या सुविधाएँ पहुंच पाती हैं, और पूछने से पता चला कि उनके पारे में आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और मितानिन की सेवाएं पहुंचने में कमी हुई है, न कि उस पारे द्वारा इन सुविधाओं को लेने में। मितानिन प्रशिक्षिका द्वारा सभा को समझ आया कि कमार लोगों को भाषण देने की बजाय जरूरत इस बात की है कि उनके पारे को सुविधाओं से कैसे जोड़ा जाए। इसके बाद सभा ने इसके लिए उपाय सोचा और योजना बनाई।

प्रश्न : स्वास्थ्य पंचायत योजना बनाने में मितानिन प्रशिक्षिका की क्या भूमिका है?

स्वास्थ्य पंचायत योजना बनाने में सलाहकर्ता की भूमिका मितानिन प्रशिक्षिका की है, उसकी जिम्मेदारी है कि वे स्वास्थ्य पंचायत योजना बनाने के लिए जरूरी बैठकों का संचालन करें। स्वस्थ पंचायत स्कोर कार्ड के आंकड़ों को लोगों सामने रखना, हर बिन्दु पर चर्चा करवाना और योजना को लिखना, तैयार योजना को आगे बढ़ाने के लिए समय–समय पर बैठक करवाना आदि प्रशिक्षिका की भूमिका में शामिल है। सबसे गरीब, कमजोर, जरूरतमंद या छूटे हुए लोगों के हितों पर ध्यान भी मितानिन प्रशिक्षिका की जिम्मेदारी है।

प्रश्नः स्वास्थ्य पंचायत योजना बनाने में मितानिन क्या सहयोग करेगी ?

मितानिन प्रशिक्षिका को सब से बड़ा सहयोग उस क्षेत्र की मितानिनों से मिलेगा। मितानिन अपने पारे का प्रतिनिधित्व करेंगी। मितानिन अपने पारे की स्वास्थ्य की स्थिति और उससे जुड़ी समस्याओं को सबके सामने बेहतर ढंग से रख सकती हैं। मितानिन के माध्यम से पारे के लोगों को स्वस्थ पंचायत योजना के विषय में सही जानकारी मिल सकती है।

प्रश्नः और कौन प्रशिक्षिका की मदद करेगा ?

मितानिन प्रशिक्षिका को स्वस्थ पंचायत योजना बनाने में अपने डी.आर.पी. से भी महत्वपूर्ण सहयोग मिलेगा। डी.आर.पी. प्रत्येक एम.टी. के क्षेत्र में होने वाली कुछ योजना बैठकों में पहुंचेंगे व एम.टी. को सलाहकर्ता की भूमिका बेहतर ढंग से निभाने में मदद करेंगे। एम.टी. को बहुत सी मदद सम्भावित गांव के पंचायत प्रतिनिधियों, ग्राम स्वच्छता समिति के सदस्यों से भी मिल सकती है। मितानिन व पंचायत की मदद से हर स्तर की बैठक के लिए लोगों को जुटाने में सहयोग मिल सकता है।

एक अच्छी स्वस्थ पंचायत योजना की प्रमुख बातें

- योजना उतनी ही अच्छी बनेगी, जितने ज्यादा लोग उसको बनाने में भाग लेंगे। विशेष तौर पर गांव के सबसे गरीब और उपेक्षित परिवारों का इसमें भाग लेना बहुत जरूरी है। योजना बनाते समय गांव में रहने वाले विकलांग, वृद्ध, विधवा, मजदूरी के लिए बाहर जाने वाले परिवार, भूमिहीन गरीब, विशेष पिछड़ी जनजाति, दलित आदि जरूरतमंद वर्गों की भागीदारी होनी चाहिए। साथ ही यह अत्यन्त जरूरी है कि बनाई गई योजना सरल व व्यवहारिक हो, जिसमें तय किए गए उपायों पर सतत् कार्य हो सके, गाँव की स्थिति बेहतर हो सके।

अभ्यास के प्रश्न

प्रश्न 1 ग्राम समिति की बैठक में पता चलता है, कि तीन पारों के हैंडपम्प चालू स्थिति में नहीं है व गांव में उल्टी–दस्त के 4 प्रकरण हुए है। इस समस्या के समाधान के लिए कौन से कदम उठाएगे ?,

प्रश्न 2 ग्राम समिति की बैठक में पता चलता है कि उनके गांव में हर साल 20 परिवारों के पुरूष मजदूरी के लिए फरवरी से मई माह तक बाहर चले जाते हैं, और गांव में बचे सदस्यों को स्वास्थ्य व अन्य सेवाए उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। समिति को इस विषय पर क्या–क्या कदम उठाने चाहिऐ ?

प्रश्न 3 समिति की बैठक में पता चलता है, कि गांव की एक दूर पारे की महिला जिसकी प्रसव तिथि 15 दिन बाद है, संस्थागत प्रसव के लिए जाना चाहती है, लेकिन अस्पताल जाने के लिए पैसे नहीं है और न ही कोई साधन है, समिति के सदस्यों को क्या करना चाहिए ?

प्रश्न 4 समिति में चर्चा से पता चलता है, कि गांव के लोगों को कुपोषण के संबंध में जानकारी नहीं है, समिति इसके लिए कौन–कौन से कदम उठाएगी ?

प्रश्न 5 समिति की बैठक में पूरे ग्राम के कुपोषित बच्चों की चर्चा की जा रही है, गांव में 80 बच्चे हैं, जिसमें से 31 सामान्य हैं, 28 श्रेणी 1 में, 11 श्रेणी 2 में, 6 श्रेणी 3 में व 4 बच्चे श्रेणी 4 में हैं। समिति इसके लिए कौन–कौन से कदम उठाएगी ?

प्रश्न 6 समिति की बैठक में यह स्थिति आती है, कि दूर के दो पारे जो वहां से 4 किसी से कोई भी सदस्य / अन्य लोग बैठक में नहीं आ पा रहे हैं साथ उन पारों में स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग भी कम है। समिति इसके लिए कौन–कौन से कदम उठाएगी ?

प्रश्न 7 गत छह माहों में ग्राम में दो शिशुओं (18 दिन व 45 दिन) की मौत हुई है, समिति की बैठक में क्या–क्या चर्चा की जानी चाहिए ?

प्रश्न 8 समिति की बैठकों में सचिव भाग नहीं ले पा रहे हैं, उनका कहना है, कि वे पंचायत के कार्यों में अत्यंत व्यस्त हैं, साथ ही पंचायत में 3 ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियां है, वह किस–किस समिति की बैठक में जाये। ऐसी स्थिति में समिति की बैठक में कौन से उपाय करने चाहिये ?

प्रश्न 9 मितानिन प्रशिक्षिका एक ग्राम समिति की पांचवी बैठक में भाग लेती है, उसे पता चलता है, कि पूर्व की चारों बैठकों का रिकॉर्ड नहीं है और साथ ही व्यय पंजी / जन्म–मृत्यु पंजी भी नहीं बनी है। बैठक में प्रशिक्षिका को क्या उपाय करना चाहिये ?

प्रश्न 1 स्वस्थ पंचायत योजना में 32 बिंदुओं के अतिरिक्त और कौन–कौन से मुद्दे लिये जा सकते हैं ?

अध्याय–4

स्वास्थ्य पंचायत योजना–बनाने के लिए जरुरी बातें

1. स्वास्थ्य पंचायत योजना कैसे बनाई जाती हैं?

स्वास्थ्य पंचायत योजना के लिए पहले पारा में बैठक करनी होगी व फिर ग्राम स्तर पर।

1.1 पारा बैठक

पारा स्तर पर महिला स्वास्थ्य समिति की बैठक मितानिन द्वारा अपनी प्रशिक्षिका के सहयोग से की जाती है। स्वास्थ्य पंचायत योजना बनाने के पहले मितानिन प्रशिक्षिका पारे में जाकर पारे के सब लोगों के साथ बैठक करेगी।

इस बैठक में –

(क) प्रशिक्षिका, लोगों को स्वस्थ्य पंचायत योजना के उद्देश्यों की जानकारी देगी व उनको ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की बैठक में आने के लिए भी प्रेरित करेगी, साथ ही पारे के पंच, मितानिन, समूह के सदस्यों को आने के लिए विशेष रूप से याद दिलाएगी।

(ख) प्रशिक्षिका पंचायत स्कोर कार्ड में से 32 बिन्दुओं पर पारे की स्थिति पारे के लोगों के सामने रखेगी।

(ग) पारे के लोगों से पूछ कर स्वास्थ्य संबंधी मुख्य समस्याओं की सूची बनाएगी।

1.2 पारा बैठक में पारे की स्थिति पर चर्चा

पिछले साल आपने मितानिन प्रशिक्षिका द्वारा पारे में जाकर मितानिन के सहयोग से 32 बिन्दुओं पर आंकड़े इकट्ठा किए गए हैं। हर पारे की 32 बिन्दुओं पर स्थिति पंचायत स्कोर कार्ड में दर्शाई गई हैं। अब जरूरी है कि पारे की स्थिति के आंकड़े पारे के लोगों को समझाया जाए। इससे लोग अपने पारे की स्थिति को समझ पाएंगे। साथ में पारे के लोग ये भी बता पाएगे कि वे आंकड़ों से सहमत हैं या नहीं।

1.3 आंकड़े लोगों के सामने रखना

उदाहरण : खाल्हे पारा की बैठक में प्रशिक्षिका ने पारा के लोगों को स्कोर कार्ड पढ़ कर समझाया आपके पारा में 16 में से केवल 6 बच्चों का टीकाकरण पूर्ण है। 3 गर्भवती हैं पर उसमें से सिर्फ 1 की ही प्रसव पूर्व जांच हुई है।

पंचायत नमूना स्कोर कार्ड

पारा	टीकाकरण		प्रसव पूर्व जांच		संस्थागत प्रसव		आंगनबाड़ी से लाभ	
	कुल	उपलब्धि	कुल	उपलब्धि	कुल	उपलब्धि	कुल	उपलब्धि
खाल्हेपारा	16	6	3	1	5	2	28	6
कमारपारा	22	4	6	0	7	1	44	2
स्कूलपारा	2	22	5	4	8	4	50	42
तालाबपारा	18	14	5	3	6	2	32	18
पटेलपारा	35	31	8	6	9	6	62	49
कुल	115	77	27	14	35	15	216	117

अभ्यास के प्रश्न

प्रश्न 1. कमारपारा में संस्थागत प्रसव की स्थिति लोगों के सामने कैसे रखेंगे ?
प्रश्न 2. स्कूलपारा में टीकाकरण की स्थिति कैसे लोगों के सामने रखेंगे ?

1.4 आंकड़ों को सुधारना

यदि किसी भी आंकड़े पर लोग सहमत नहीं हैं तो उनसे पूछकर उन आंकड़ों को सुधारना होगा। सुधारकर आंकड़ों को मितानिन प्रशिक्षिका पेन्सिल से पुराने आंकड़ों को बगल में लिखें। एक ही बैठक में सम्भव नहीं है कि एम.टी. सभी बिन्दुओं पर एक–एक परिवार के सब आंकड़ों फिर से पूछ कर सुधार सके। किन्तु कुछ बिन्दुओं पर दर्ज जानकारी को दुबारा जांचने का प्रयास जरूरी हैं।
ये बिन्दु हैं –

1. शिशु मृत्यु
2. आंगनबाड़ी से लाभ
3. सुरक्षित पेय जल का उपयोग

उदाहरण : आंकड़ों को कैसे सुधारें ?

प्रशिक्षिका : सर्वे के अनुसार आपके पारा में पिछले साल एक साल से छूटे किसी बच्चे की मृत्यु नहीं हुई है। क्या आप सहमत हैं ?

लोग : ये आंकड़े गलत हैं। गत वर्ष हमारे पारे में दो नवजात बच्चों की मृत्यु हुई थी।

2. मुख्य समस्याओं की सूची बनाना

मुख्य समस्याओं की सूची बनाने के दो उपाय हैं –

(अ) पारे के लोगों से खुले प्रश्न पूछकर जैसे आप के पारे में मुख्य समस्या क्या है ?

(ब) पंचायत स्कोर कार्ड के आधार पर

उदाहरण :नमूना स्कोर कार्ड में देखने से पता चलता है कि खाल्हे पारा के 16 में से सिर्फ 6 बच्चों का ही टीकाकरण हो पाया है। इसलिए इस पारा में यह एक बड़ी समस्या है।

अभ्यास के प्रश्न

पहले नमूना स्कोर कार्ड के आधार पर कमारपारा की मुख्य समस्याओं की सूची बनाएं साथ ही नमूना स्कोर कार्ड के आधार पर पटेल पारा की मुख्य समस्या की सूची बनाए।

प्रश्न : क्या पंचायत स्कोर कार्ड में दिए गए 32 बिंदुओं के अतिरिक्त अन्य समस्या भी इसमें जोड़ सकते है ?

उत्तर : हां, गांव के लोग स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी समस्या को इसमें जोड़ सकते हैं जैसे कि वृद्ध और विकलांग व्यक्तियों के पेंशन से जुड़ी समस्या, हास्पिटल तक तत्काल पहुचाने के लिए वाहन की समस्या, जंगल की सुरक्षा, महिलाओं में खून की कमी आदि।

3. ग्राम स्तरीय बैठक

स्वस्थ पंचायत योजना बनाने के लिए मुख्य बैठक ग्राम स्तर पर होगी। इसमें ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों के अतिरिक्त सभी पारों से आए लोग भी हिस्सा लेंगे। बैठक में मितानिन प्रशिक्षिका योजना बनाने का उद्देश्य सब को बताएगी। इसके बाद एक–एक बिन्दु पर विस्तृत चर्चा शुरू होगी, हो सकता है कि एक बैठक में लोग 2–3 घंटे का ही समय दे पाएं और इतने समय में सभी 32 बिन्दुओं पर योजना न बन पाये। ऐसी स्थिति में शेष बचे बिन्दुओं पर अगले महीने की बैठक में योजना बनानी चाहिए।

4. प्रत्येक बिन्दु पर चर्चा करने का तरीका

(अ) मितानिन प्रशिक्षिका (एम.टी.) सभा से उस बिन्दु से जुड़े प्रावधान व उनका महत्व पूछेगी। यही बात वो उस सेवा से जुड़े कार्यकर्ता से भी पूछेगी।

(ब) एम.टी. सभा से मिले उत्तरों में जोड़ कर सभी जरूरी प्रावधान व उनका महत्व सभा को बताएगी।

(स) एम.टी. सभा से पूछेगी कि गांव में उस बिन्दु की स्थिति कैसी है व कौन से पारों में स्थिति कमजोर हैं ?

(द) एम.टी. सभा को पंचायत स्कोर कार्ड के आधार पर कमजोर पारों के बारे में बताएगी।

(इ) एम.टी. सभा से एक–एक कमजोर पारे के लिए कमजोर स्थिति का कारण पूछेगी।

(ई) यदि गांव में कोई दलित अथवा विशेष जनजाति के परिवार रहते हैं, तो एम.टी. विशेष रूप से उनसे पूछेगी, कि क्या उनके साथ इस बिन्दु से जुड़ी सेवा प्राप्त करते समय बराबरी का व्यवहार किया जाता है या नहीं।

(उ) एम.टी. सभा से इन समस्याओं का उपाय पूछेगी।

(ऊ) एम.टी. उपाय पर सभा की आम सहमति होने पर पूछेगी कि उपाय के लिए प्रयास करने की जिम्मेदारी कौन–कौन लेगा?

(ए) जिम्मेदारी तय होने पर एम.टी. उनसे समय सीमा पूछेगी कि कब तक वो प्रयास कर लिया जाएगा।

ध्यान रहे- किसी भी समस्या के लिए उपाय का सुझाव सभा की तरफ से ही आना चाहिए। मितानिन प्रशिक्षिका को याद रखना है कि योजना गाँव के लोगों की है और इसलिए सुझाव भी उन्हीं की होनी चाहिए। यदि किसी विशेष परिस्थिति में एम.टी. उपाय पर सुझाव देती हैं, तो उसे 1–2 से ज्यादा बिन्दु पर सुझाव नहीं देना चाहिए। एम.टी. का काम होगा सभा में जुटे लोगों से पूछ–पूछ कर ही योजना को बनाना।

उदाहरण 1 : आंगनबाड़ी

मितानिन प्रशिक्षिका इस क्रम में सभा से चर्चा करेगी–

1. पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता (यदि उपस्थित हो) से और फिर सभा से पूछेगी कि आंगनबाड़ी से क्या–क्या लाभ मिलने का प्रावधान है ?
2. कार्यकर्ता व सभा से मिले उत्तरों में जोड़ कर सभी प्रावधान की जानकारी सभा को बताएगी।
3. सभा से पूछेगी कि गांव में आंगनबाड़ी की स्थिति कैसी है, कौन से पारों में स्थिति कमजोर है ?
4. सभा को पंचायत स्कोर कार्ड के आधार पर कमजोर पारों के बारे में बताएगी।
5. सभा से कमजोर पारो के लिए एक–एक पारे के लिए आंगनबाड़ी से बच्चे छूट जाने का कारण व अन्य समस्या का कारण पूछेगी।

उदाहरण : 2 प्रसव पूर्व देखभाल

मितानिन प्रशिक्षिका इस क्रम में सभा से चर्चा करेगी–

1. पहले सभा से और फिर नर्स (यदि उपस्थित हो) से पूछेगी कि प्रसव पूर्व क्या–क्या देखभाल गर्भवती को मिलनी चाहिए ?
2. नर्स व सभा से मिले उत्तरों में जोड़कर सभी जरूरी देखभाल की जानकारी सभा को बताएगी।
3. सभा से पूछेगी कि गाँव में प्रसव पूर्व देखभाल की स्थिति कैसी है ? कौन–कौन सी जांच ए.एन.एम. द्वारा हो पा रही है ?कौन से पारों में स्थिति कमजोर है ?
4. सभा को पंचायत स्कोर कार्ड के आधार पर कमजोर पारों के बारे में बताएगी ?
5. सभा से व ए.एन.एम. से प्रसव पूर्व जांच व देखभाल में कमी का कारण पारावार पूछेगी।

6. यदि गाँव में कोई दलित (हरिजन) अथवा विशेष जनजाति का परिवार रहता है तो एम.टी. विशेष रूप से उनसे पूछेगी कि क्या उन महिलाओं के साथ नर्स द्वारा समानता का व्यवहार किया जाता है ?
7. एम.टी. सभा से इन समस्याओं का उपाय पूछेगी ?
8. एम.टी. उपाय पर सभा की आम सहमति होने पर पूछेगी कि उपाय के लिए प्रयास करने की जिम्मेदारी कौन–कौन लेगा?
9. जिम्मेदारी तय होने पर एम.टी. उनके समय सीमा पूछेगी कि कब तक यह प्रयास कर लिया जाएगा?

5. समस्या की जड़ तक पहुंचना

प्रत्येक बिन्दु पर समस्या पर चर्चा करवाकर एम.टी. सभा को समस्या की जड़ तक पहुंचाने में मदद करेगी। इसके लिए जरूरी है कि हितग्राहियों और सेवा पहुंचाने वाले कर्मचारी दोनों को खुल कर बात करने का अवसर दिया जाए व दोनों की समस्या को समझा जाए।

उदाहरण

एम.टी. : (स्कोर कार्ड को देख कर) बड़कापारा के अधिकांश बच्चों को आंगनबाड़ी का लाभ नहीं मिल रहा है।

छोटे बच्चे की माँ : हम लोग घर ले जाने वाला सूखा राशन लेने आंगनबाड़ी नहीं जाते हैं।

एक पंच : इन लोगों में जागरूकता की कमी है और महिलाओं को समझने की जरूरत है।

एम.टी. : हमें जल्दबाजी में योजना नहीं बनाना चाहिए। चलो माताओं से ही पूछते है कि वे टी.एच.आर. लेने क्यों नहीं जाती हैं।

छोटे बच्चे की माँ : मैं तीन मंगलवार तक टी.एच.आर. लेने आंगनबाड़ी गई। राशन मिला ही नहीं, मुझे खाली हाथ लौटना पड़ा। अब मैं आंगनबाड़ी जाना छोड़ दी हूँ।

पंच : अब समझ में आया की समूह के लोग ही गड़बड़ी कर रहें हैं। इस समूह की शिकायत ऊपर भेजनी पड़ेगी।

एम.टी. : नहीं हमें समूह वालों से भी पूछ लेना चाहिए।

समूह अध्यक्ष : हमें तीन माह से राशि नहीं मिली है। एक माह से तो चांवल का कूपन भी नहीं मिला है। सुपरवाइजर ने बोला है कि जब तक चांवल न मिल जाय। बाकी इतने भी नहीं बाँटना हैं।

पंच : अब मैं पूरी बात समझ गया। राशि व चांवल में देरी की सूचना ब्लॉक के अधिकारियों को देनी होगी।

एम.टी.: देखा अब हम समस्या की जड़ तक पहुंच पाए हैं। अच्छा हुआ कि हमने पोषण आहार से जुड़े सब लोगों जैसे कि हितग्राही माताएं, कार्यकर्ता और समूह सबसे बात की। अब हम सब मूल समस्या समझ गए हैं तो मिलकर इसका हल भी खोज सकते हैं। आप लोग बताइए इसके लिए क्या प्रयास किय जाए?

सभी लोगः हम सब लोग महिला बाल विकास अधिकारी को राशि में विलम्ब की सूचना लिख कर देंगे।

एम.टी. : इस काम की जिम्मेदारी कौन लेगा ?

सरपंच : मैं यह लिख कर अधिकारी के पास ले जाऊंगा और एक प्रति कलेक्टर साहब को भी भेजूंगा।

उपरोक्त उदाहरण से हमें स्पष्ट है कि

सब लोगों से खुल कर चर्चा करने पर ही हम लोग समस्या की जड़ तक पहुँच सकते हैं। समस्या की जड़ तक पँहुचे बिना तो गलत योजना तैयार हो जाती है, जिससे कुछ सुधार नहीं हो पाता।

समस्या की जड़ तक पहुँचना-कुछ उदाहरण

द्वशफ्र्च; × दूर–दराज के पारों के अधिकांश परिवार किसी सेवा से छूट जाते हैं।

द्वड्डद्धद्द्ध.द्म × छूटे हुए पारा आंगनबाड़ी केन्द्र से दूर हैं जिसके कारण वहां के बच्चे आंगनवाड़ी नहीं पहुंच पाते।

सम्भावित उपाय – वहां पर सेवा उपलब्ध होने के लिए सम्भावित अधिकारी को लिखना। (इस तरह से समस्या दूर होने में काफी समय भी लग सकता है। यदि कुछ माह में सफलता नहीं मिलती तो आगे का और उपाय खोजने की जरूरत पड़ सकती है – जैसे कि और ऊपर के अधिकारी को लिखना, अधिकारी से गांव के प्रतिनिधियों को लिखना, अधिकारी से गाँव के प्रतिनिधियों को जा कर मिलना, अन्य पंचायतों के साथ मिलकर सेवाओं की मांग शासन के सामने रखना आदि।)तत्काल राहत के लिए कार्यकर्ता से तालमेल व समुदाय की मदद से सेवा पहुंचाने की कुछ व्यवस्था करना। उदाहरण : उस गांव के 0–6 वर्ष के बच्चों की सूची बनाकर महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी को नया केन्द्र खोलने की अर्जी भेजी जा सकती हैं। जब तक वहां नया केन्द्र नहीं खुलता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से चर्चा कर उस पारा की मितानिन अथवा अन्य व्यक्ति के माध्यम से टी.एच.आर. केन्द्र से ले जाकर पारा में हितग्राही को बांटने की व्यवस्था की जा सकती है।

द्धश्फ्रद्य; ×सेवा पहुंचाने की जिम्मेदारी वाले कर्मचारी को आवश्यक साधन उपलब्ध न होना।

द्धद्ब्रद्यद्दद्ध.द्ग × एक गांव में ए.एन.एम. गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व रक्तचाप जांच नहीं कर पाती है, क्योंकि उसकी रक्तचाप की मशीन खराब हो गई हैं।

सम्भावित उपाय – कर्मचारी की उन समस्याओं पर ब्लॉक या ऊपर के अधिकारी को सूचित करना। तत्काल राहत के लिए कुछ व्यवस्था करना। उदाहरण : रक्तचाप उपकरण की कमी की लिखित सूचना के साथ खण्ड चिकित्सा अधिकारी से बात की जा सकती है। ए.एन.एम. पड़ोस के गांव की ए.एन.एम. से मशीन मांग कर उस माह की जांच पूरी करने को तैयार हो जाती हैं।

द्धश्फ्रद्य; ×सेवा पहुंचाने वाले कर्मचारी अपना काम नहीं करते हैं जिसके कारण लोग सेवा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं।

द्धद्ब्रद्यद्दद्ध.द्ग × गांव में स्वास्थ्य कार्यकर्ता पदस्थ हैं किन्तु टीकाकरण करने नहीं जाते जिसके कारण कई माह से टीकाकरण छूटा है।

सम्भावित उपाय –संबंधित कर्मचारी से सामूहिक चर्चा करना, इस पर भी सुधार नहीं होने पर ब्लॉक या ऊपर के अधिकारी को लिखित सूचना देना। उदाहरण : स्वास्थ्य कार्यकर्ता से सामूहिक बात कर टीकाकरण के लिए बोला जा सकता है और इसके लिए तारीख ली जा सकती है। इस पर भी यदि वे टीकाकरण के लिए आने को तैयार नहीं होती है तो इसकी लिखित सूचना खण्ड चिकित्सा अधिकारी को दी जा सकती है।

द्धश्फ्रद्य; ×कुछ दलित/विशेष जनजाति के परिवार सेवाओं से कट जाते हैं क्योंकि उनके साथ जाति आधारित भेद–भाव या छुआ–छूत का व्यवहार किया जाता है।

द्धद्ब्रद्यद्दद्ध.द्ग × दलित घरों के बच्चे आंगनबाड़ी आना छोड़ दिये हैं क्योंकि उनके साथ केन्द्र में भेद–भाव किया जाता है।

सम्भावित उपाय –भेद–भाव करने वाले कर्मचारी को समझाना कि इस तरह का भेद–भाव अपराध है।
उदाहरण : आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को समझाया जा सकता हैं कि जाति आधारित भेद–भाव व छुआ–छूत अपराध है और उसको सबके साथ बराबरी का व्यवहार करना चाहिए। कार्यकर्ता से सभा में गारंटी ली जा सकती हैं कि ऐसा भेद–भाव भविष्य में नहीं होगा। छूटे हुए परिवार को फिर से आंगनबाड़ी से जुड़ने की सलाह दी जा सकती है।

आंगनबाड़ी से जुड़ी कुछ समस्याएँ व उनके उपाय

द्यद्गरु;द्म १× छूटे हुए पारे आंगनबाड़ी केन्द्र से दूर हैं, जिसके कारण वहाँ के बच्चे आंगनबाड़ी नहीं पहुंच पाते।

उपाय – उस गाँव के 0–6 वर्ष के बच्चों की सूची बनाकर महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी को नया केन्द्र खोलने की अर्जी भेजी जा सकती है। जब तक वहाँ नया केन्द्र नहीं खुलता आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से चर्चा कर उस पारे की मितानिन अथवा अन्य व्यक्ति के माध्यम से टी.एच.आर. केन्द्र से ले जाकर पास में हितग्राहियों को बांटने की व्यवस्था की जा सकती हैं।

द्यद्गरु;द्म २ × पारे में आंगनबाड़ी है पर कुछ परिवार बच्चों को केन्द्र नहीं भेजते।

उपाय – पारे से कोई व्यक्ति उन परिवारों के घर पर जाकर बात करेंगे और बच्चों को केन्द्र नहीं भेजने का कारण समझेंगे। उन परिवारों को आंगनबाड़ी का लाभ बताने का प्रयास कर सकता है।

द्यद्गरु;द्म ३ × कुछ परिवार बच्चों को केन्द्र नहीं भेजते, क्योंकि सहायिका बच्चों को लेने नहीं जाती।

उपाय – सहायिका व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से बात करके बच्चों को लेने की व्यवस्था बनाना।

द्यद्गरु;द्म ४ × अधिकांश परिवार आंगनबाड़ी से कट गए हैं।

उपाय – आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से बात करके इन सेवाओं को सुधारने के लिए बोलना और परिवारों को केन्द्र से जुड़ने के लिए प्रेरित करने की कोशिश की जा सकती है।

द्यद्गरु;द्म ५ × क्योंकि टी.एच.आर. बांटने, खाना खिलाने अथवा खेल–कहानी आदि को शाला पूर्व शिक्षा देने में केन्द्र कमजोर है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का कहना है कि पोषण आहार का संचालन कर रहे समूह द्वारा समय पर सामग्री उपलब्ध नहीं कराए जाने से टी.एच.आर. में कमी हो रही है।

उपाय – समूह की महिलाओं से बात करके सुधार की मांग की जा सकती है।

द्यद्गरुद्म ६ × दलित घरों के बच्चों ने आंगनबाड़ी आना छोड़ दिए हैं क्योंकि उनके साथ भेदभाव किया जाता है।

उपाय – कार्यकर्ता को समझाया जाएगा कि जाति आधारित भेद–भाव व छुआ–छूत अपराध है और उसको सब के साथ बराबरी का व्यवहार करना चाहिए। कार्यकर्ता से सभा में गारंटी ली जाएगी कि ऐसा भविष्य में नहीं होगा। छूटे हुए परिवारों को फिर से आंगनबाड़ी से जुड़ने की सलाह दी जा सकती हैं।

कुछ अन्य प्रमुख समस्याएँ एवं उनके उपाय

द्यद्गरुद्म १ × ए.एन.एम. केवल आंगनबाड़ी केन्द्र में पहुंचने वाली गर्भवती महिलाओं की जांच कर पाती है। छूटे हुए पारे आंगनबाड़ी केन्द्र से दूर हैं। ए.एन.एम. पारा तक नहीं जाती हैं।

उपाय – ए.एन.एम. से चर्चा कर उस पारे में जांच करने के लिए उसके जाने की तारीख तय की जा सकती हैं। पारे से कोई भी व्यक्ति तय तारीख के दिन गर्भवती महिलाओं को जुटाने की जिम्मेदारी ले सकता है।

द्यद्गरुद्म २ × ए.एन.एम. पारे में गयी हैं पारे की महिलाएं जांच कराने नहीं आई।

उपाय – पारे से कोई व्यक्ति तय तारीख के दिन महिलाओं को जुटाने की जिम्मेदारी ले सकता है।

द्यद्गरुद्म ३ × उस क्षेत्र के उप स्वास्थ्य केन्द्र में कोई स्वास्थ्य कार्यकर्ता पदस्थ नहीं हैं।

उपाय – ऐसे छूटे हुए गाँव की सूची बनाकर खण्ड चिकित्सा अधिकारी से बात की जाए।

द्यद्गरुद्म ४ × ए.एन.एम. कुछ जांच (रक्तचाप आदि) नहीं ले पाती है क्योंकि उसके उपकरण नहीं हैं, अथवा बिगड़ गए हैं।

उपाय – ऐसे उपकरण की कमी की सूचना के साथ खण्ड चिकित्सा अधिकारी से बात की जाएगी।

द्यद्गरुद्घ ५ × गाँव के लोगों द्वारा चर्चा किए जाने पर भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता टीका करने नहीं जाते।

उपाय – ऐसे छूटे गाँव की सूची बनाकर खण्ड चिकित्सा अधिकारी से बात की जाय।

स्वास्थ्य पंचायत योजना लिखने का तरीका

स्वास्थ्य पंचायत योजना में प्रत्येक बिन्दु पर पांच बातें स्पष्ट रूप से लिखना जरूरी है –

1. कमजोर पारे कौन से हैं ?
2. प्रत्येक कमजोर पारे में समस्या के कारण क्या हैं ?
3. समस्या को हल करने के लिए कौन से उपाय पर सहमति है ?
4. प्रत्येक उपाय को करने की जिम्मेदारी किसकी है ?
5. जिम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति कितनी समय सीमा के अंदर अपना प्रयास पूरा कर लेगा ?

इन पांच बातों को निम्न सारणी अनुसार व्यवस्थित ढ़ंग से लिखना चाहिए

बिन्दु	कमजोर पारा	कारण	उपाय	जिम्मेदारी	समय सीमा
टीकाकरण	कमारपारा	आंगनवाडी दूर है।	नर्सो से चर्चा करेंगे कि पारा में जाकर टीकाकरण करेगी। मितानिन व महिला पांच बच्चों को जुटाकर रखेंगी।	सरपंच चर्चा करेंगें ।	एक सप्ताह में
	खाल्हेपारा	आंगनवाड़ी दूर है।		सुमरिया सरपंच मितानिन लिलावती	एक सप्ताह में
आंगनवाड़ी	कमारपारा	आंगनवाड़ी दूर होने के कारण बच्चे नहीं जा पाते हैं।	बच्चों की सूची बनाकर नए आंगनवाड़ी की मांग के लिए सीडीपीओ को पत्र	सरपंच आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रहोवती मितानिन उषा मितानिन	15 दिनों में
	खाल्हेपारा	आंगनवाड़ी दूर है।	मितानिन के माध्यम से छोटे पारा में टीएचआर वितरण		इस मंगलवार से

योजना को क्रमवार लिखने का आंगनवाड़ी संबंधी उदाहरण

कमजोर पारा	:	कमारपारा में 42 बच्चे व खाल्हेपारा में 22 बच्चे छूटे हुए हैं।
कारण	:	आंगनबाड़ी 3 किलोमीटर दूर है और बीच में नदी पड़ती है।
उपाय	:	बच्चों की सूची बनाकर नए आंगनबाड़ी की मांग के लिए महिला बाल विकास अधिकारी को पत्र लिखना व तत्काल राहत के लिए मितानिन के माध्यम से छूटे पारा में टी.एच.आर. वितरण।
जिम्मेदारी	:	सरपंच पत्र लिखवा कर अधिकारी को देंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और दोनों पारे के मितानिन पारा में ले जाकर वितरण शुरू करेंगे।
समय सीमा	:	सरपंच 15 दिन के अंदर काम करेंगे। सूखा राशन वितरण वाला कार्य अगले मंगलवार से शुरू हो जाएगा।

योजना बनाने के बाद क्या करना है ?

प्रश्न1 : इस प्रकार ग्राम स्तरीय पंचायत योजना तो बन गई। अब इसके आगे क्या करना है ?

डत्तर : स्वास्थ्य पंचायत योजना को साफ सुथरा लिख कर एक प्रति सरपंच को देनी चाहिए और एक प्रति ग्राम समिति की संयोजक मितानिन के पास रखनी चाहिए। मितानिन प्रशिक्षिका भी अपने पास एक प्रति रख सकती है। स्वास्थ्य पंचायत योजना बनते ही कुछ बिन्दुओं पर सुधार का काम शुरू हो जाता है, हो सकता है कि पहली बैठक में ही एक–दो समस्या हल हो जाए। बाकी बिन्दुओं पर सुधार लाने के लिए जरूरी है कि हर माह ग्राम स्तरीय बैठक की जाए।

प्रश्न 2 : अगले महीने की बैठक में क्या करना होगा ?

उत्तर : इस बैठक में भी पंच, सरपंच, कर्मचारी, मितानिन व जनता शामिल होंगे व मितानिन प्रशिक्षिका उनको मदद करेगी। इस बैठक में निम्नलिखित चर्चा करना है।

1. पिछले माह में जिन बिन्दुओं पर योजना बनी थी उनकी समीक्षा करनी होगी। सुधार के लिए क्या प्रयास हुए और उससे समस्या हल हुई या नहीं।

2. यदि किसी बिन्दु में सुधार हुए हैं तो उस बात को प्रमुखता से बैठक में रखा जाए व प्रयास करने वाले व्यक्ति की प्रशंसा की जाए व सभा से ताली बजवाई जाए।

3. यदि किसी बिन्दु पर जिम्मेदारी लेने वाले व्यक्ति द्वारा प्रयास तो हुए हैं किन्तु फिर भी समस्या हल नहीं हुआ हो तो भी प्रयास करने वाले व्यक्ति की प्रशंसा की जाए व सभा से ताली बजवाई जाए। इस बिन्दु पर सुधार के लिए और कोई उपाय तय किए जाए।

4. यदि किसी बिन्दु पर जिम्मेदारी लेने वाले व्यक्ति द्वारा प्रयास नहीं किया गया हो तो उससे पूछा जाय कि वे इस माह प्रयास पूरा कर पाएंगे। यदि वे उपस्थित नहीं हों अथवा जिम्मेदारी छोड़ना चाहे तो सभा से नए व्यक्ति को जिम्मेदारी दें, एक–एक से पूछा जाए।

5 जिन बिन्दुओं पर पिछले माह चर्चा नहीं हो पाई हो, उन पर इस बैठक में समस्या के कारण, उपाय व जिम्मेदारी तय करके योजना बनाई जाए।

प्रश्न 3 : इस बैठक की कार्यवाही कैसे लिखनी होगी ?

उत्तर : (अ) जिन बिन्दुओं पर नई योजना बनी है, उनको पहले की ही तरह लिखना होगा, जिसमें पांच बातें–कमजोर पारा, कारण, उपाय, जिम्मेदारी व समय सीमा लिखना होगा।

(ब) जिन बिन्दुओं पर पिछले माह योजना बनी थी, उनकी समीक्षा कर नई बातें लिखनी होगी। ये पांच बातें हैं :–

1. जिम्मेदारी लेने वाले ने क्या प्रयास किया ?
2. यदि प्रयास हुए तो इससे क्या सुधार हुए ?
3. इस बिन्दु में और सुधार के लिए आगे का उपाय बताया जाए ?
4. इस उपाय को करने की जिम्मेदारी किसने ली है ?
5. जिम्मेदारी लेने वाले कब तक अपना काम कर लेगा ?

स्वस्थ पंचायत योजना अगर सारणी के रूप में (कालमों में) लिखना नहीं हो तो निम्नलिखित क्रमवार तरीके से भी लिखी जा सकती हैं :–

उदाहरण : टीकाकरण संबंधी बैठक की कार्यवाही लिखना

प्रयास : सरपंच ने ए.एन.एम से बात की। मितानिन ने लोगों को जुटाया।

परिणामः नर्स दोनों पारों में जाकर टीकाकरण के लिए सहमत थी। कमार पारा में टीकाकरण हो गया। खाल्हेपारा में नहीं हो पाया क्योंकि नर्स तय दिन पर नहीं गई।

आगे का उपाय : नर्स से फिर से बात किया जाए।

जिम्मेदारी : सरपंच ए.एन.एम. से फिर से बात करेंगे व मितानिन पारा में लोगों को जुटाएंगी।

समय सीमा : एक सप्ताह के अंदर इस तरह कार्यवाही लिखकर एक प्रति सरपंच व एक संयोजिका को देनी चाहिए।

प्रश्न4 : अब तक हमने ग्राम स्तर पर बैठक हर माह करने की बात की। क्या पंचायत स्तर पर भी बैठक करनी चाहिए ?

उत्तर : तीन माह में एक बार पंचायत स्तर पर भी बैठक की जा सकती है। इससे स्वास्थ्य पंचायत योजना पर माहौल बनाने में मदद मिलती है। इस बैठक में पूरी पंचायत के सब लोग मिलकर योजना को सफल बनाने की अपनी तैयारी का प्रदर्शन कर सकते हैं। पंचायत स्तर की बैठक उस स्थिति में अनिवार्य हो जाती है, जब कुछ ग्राम स्तर की बैठक में सरपंच अथवा कुछ कर्मचारी जैसे कि ए.एन.एम. आदि न पहुंच पाएँ हो। ऐसी स्थिति में पंचायत स्तरीय बैठक करके इन महत्वपूर्ण व्यक्तियों को गाँव में बनी योजना से अवगत कराया जा सकता है व उनका सहयोग लिया जा सकता है।

स्वास्थ्य पंचायत योजना बनाने व उस पर काम करने में चुनौतियाँ

प्रश्न1 : क्या हमारे राज्य में अभी तक कहीं स्वास्थ्य पंचायत योजना बनाई गई हैं ? इसका अनुभव कैसा रहा है ?

उत्तर : अभी तक छत्तीसगढ़ में लगभग 150 पंचायतों में स्वास्थ्य पंचायत योजना बनाई गई हैं। इन पंचायतों में बहुत से सुधार सामने आये है। प्रत्येक पंचायत में देखने को मिला कि योजना बनाने व उसकी हर माह बैठक से कुछ पंचायत प्रतिनिधियों व कर्मचारियों की सुधार के लिए प्रयास करने की रूचि बनी है। उदाहरण के तौर पर जहां सरपंच ने रूचि ली है तो जनता का उस पर विश्वास बंधा है। इन प्रयासो से कुछ जगह आंगनबाड़ी में टी.एच. आर. की अनियामित्ता हल हो गई। कुछ जगह टीकाकरण से छूटे पारे का टीकाकरण हो गया। कहीं पर राशन में सुधार दिखा तो कहीं पर रोजगार गारंटी में। जब सब लोग मिलकर सुधार के लिए कोशिश करते है तो कुछ न कुछ सुधार जरूर सामने आता है।

प्रश्न 2 : क्या स्वास्थ्य पंचायत योजना बनाने से गाँव की सब समस्याएं हल हो जाएगी ?

उत्तर : स्वास्थ्य पंचायत योजना बनाते समय जरूरी है कि गांव के लोगों को ये विश्वास दिलाना कि उनके प्रयास करने से सुधार हो सकता है। सभी नहीं तो कुछ समस्या तो ऐसी है जिनको गांव के लोग मिलकर हल कर सकते हैं।

प्रश्न 3: एक व्यवहारिक कठिनाई आती है सरपंच व ए.एन.एम. की उपस्थिति बैठक में सुनिश्चित करने में। इसके लिए क्या करें ?

उत्तर : इसके लिए बार–बार प्रयास करना जरूरी है। सरपंच को एम.टी. पंच, मितानिन द्वारा सीधे बात करके व जितने माध्यम संभव हो, सबके द्वारा बैठक में उन्हें लाने का प्रयास करना चाहिए। सरपंच व ए.एन.एम. से सलाह करके बैठक का दिन तय करने से भी मदद मिलती हैं।

प्रश्न 4: गाँव स्तरीय बैठक में कुछ पारा से कोई नहीं पहुंचता है और कुछ में 1–2 लोग ही आते हैं।

उत्तर : प्रत्येक पारा से लोगों को ग्राम स्तरीय बैठक में लाने के लिए भी पर्याप्त प्रयास जरूरी है। ग्राम स्तरीय बैठक से पहले एम.टी. द्वारा हर पारा में बैठक कर लोगों को जानकारी देने से ये समस्याएं दूर हो सकती हैं।

प्रश्न 5: कई बार कुछ व्यक्ति जिम्मेदारी ले लेते हैं किन्तु उचित प्रयास नहीं कर पाते हैं?

उत्तर : ऐसी स्थिति में उनको बदलना जरूरी है। उस बिन्दु पर फिर से प्रयास करने की योजना बनाई जाए।

प्रश्न 6: बैठक 2–3 घंटे से लम्बी चलने पर लोगों की रूचि कम हो जाती है और कुछ लोग तो उठ कर जाने लगते हैं।

उत्तर : इसलिए बैठक को 2–3 घंटे से आगे नहीं चलाना चाहिए। जितने बिन्दू छूट गयें हो उन पर अगले माह की बैंठक में योजना बना सकते हैं।

प्रश्न 7: कई बार गांव के लोग मिलकर 10–12 बिन्दुओं पर योजना बनाते हैं किन्तु इनमें से 1–2 बिन्दु को छोड़कर अन्य में सुधार दिखाई नहीं पड़ती है और लोगों का उत्साह कम हो जाता है।

उत्तर : 10 में से यदि 9 मुददे हल नहीं होते तो ये महत्वपूर्ण नहीं हैं। महत्वपूर्ण यह है कि एक माह के प्रयास में एक मुद्दा तो हल हुआ। इसलिए जरूरी है कि जिन 1–2 बिन्दुओं में सुधार हो पाया है, उस सुधार को प्रमुखता से लोगों के सामने रखें व उस प्रयास की प्रशंसा जरूर करें। लोगों को समझाएं कि सभी समस्याएं एक ही दिन में हल नहीं हो सकता किन्तु प्रयास जारी रखने से एक–एक करके धीरे–धीरे हल हो सकता है।

प्रश्न 8: कुछ जगह पहली बैठक में तो लोग अच्छी संख्या में आते हैं लेकिन उसके बाद के माह की बैठकों में उपस्थिति कम हो जाती है।

उत्तर : ऐसा कई कारणों से हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको उत्साह नहीं खोना चाहिए। ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हर हालत में प्रत्येक माह ग्राम स्तरीय बैठक होती रहे। यदि बैठक नियमित होगी तो धीरे–धीरे उपस्थिति में भी सुधार आएगा।

***

हमर समिति

मितानिन प्रशिक्षक व जिला स्त्रोत व्यक्ति समिति की बैठक में निम्न बिन्दुओं पर मार्गदर्शन देंवे।

ग्राम :

ग्राम पंचायत :

सरपंच :

अध्यक्ष :

संयोजक मितानिन :

सचिव :

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता :

ए.एन.एम. :

हैंन्डपंप मैंकेनिक :

उपस्वास्थ्य केन्द्र :

शिक्षक :

अन्य समितियों की संख्या :

क्या अन्य समितियों के सभी अध्यक्ष ग्राम समिति में सदस्य के रूप सम्मिलित किए गए हैं :

अन्य मितानिनों के नाम :

समिति का गठन दिनांक :

समिति में बैंठक पंजी उपयोग में लाई जा रही हैं :

समिति का खाता दिनांक :

समिति में कैंश बुक उपयोग में लायी जा रही हैं :

समिति में जन्म/मृत्यु पंजीयन पंजी उपयोग में लाई जा रही हैं :

समिति में मासिक बैंठक नियमित की जा रही हैं :

समिति द्वारा ग्राम स्वास्थ्य योजना बनाई गई:

समिति द्वारा अन्टाईड फण्ड का उपयोग किया जा रहा हैं :

समिति द्वारा ग्राम स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा हैं :

राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र, छत्तीसगढ़

बिजली चौक, कालीबाड़ी, रायपुर 492001

दूरभाष : 0771-2236175, 2236104